

अध्याय - VIII आयुध फैक्ट्री संगठन

8.1 आयुध फैक्ट्री संगठन का कार्य निष्पादन

8.1.1 प्रस्तावना

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी.) रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत महानिदेशक, आयुध फैक्ट्रियों के अधीन कार्य करता है। कुल 39 फैक्ट्रियों को पाँच उत्पाद आधारित प्रचालन समूहों¹³ में विभक्त किया गया है जो निम्नवत हैं:

क्रम संख्या	समूह का नाम	फैक्ट्रियों की संख्या
(i)	गोला बारूद एवं विस्फोटक	10
(ii)	शस्त्र, वाहन तथा उपस्कर	10
(iii)	सामग्री एवं संघटक	8
(iv)	शस्त्र सज्जित वाहन	6
(v)	आयुध उपस्कर (वस्त्र एवं सामान्य भण्डार)	5

दो और फैक्ट्रियाँ यथा, आयुध फैक्ट्री नालंदा एवं आयुध फैक्ट्री कोरवा अभी परियोजना स्तर पर है जिसमें क्रमशः ₹ 920.57 करोड़ और ₹ 69.01 करोड़ मूल संस्वीकृत लागत क्रमशः ₹ 941.14 करोड़ (बाद में फरवरी 2009 में ₹ 2160.51 करोड़ संशोधित हो गई) और ₹ 408.01 करोड़ के प्रति मार्च 2011 तक व्यय किया गया था। आयुध फैक्ट्री नालंदा दो लाख बाई मॉड्यूलर मास चार्ज सिस्टम प्रतिवर्ष तथा आयुध फैक्ट्री कोरवा 45000 कारबाइन प्रतिवर्ष निर्माण के लिए क्रमशः नवम्बर 2005 (संशोधित अगस्त 2011) तथा अक्टूबर 2010 (संशोधित मार्च 2011) तक पूर्ण होना अनुसूचित किया था परन्तु अभी तक इनका लगातार उत्पादन शुरू होना बाकी था (जुलाई 2012)।

8.1.2 मूल कार्यकलाप

आयुध फैक्ट्रियों का प्रमुख कार्य भारतीय सशस्त्र सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। आयुध फैक्ट्रियों का मूल कार्यकलाप, प्रतिवर्ष आयोजित लक्ष्य निर्धारण बैठक के दौरान भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रदर्शित आवश्यकताओं के आधार पर शस्त्र, गोला बारूद, शस्त्रसज्जित वाहन आयुध भण्डार आदि का निर्माण एवं आपूर्ति करना है। इन आवश्यकताओं की बाद में मांगपत्र के रूप में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा पुष्टि की जाती है।

तथापि अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करके आयुध फैक्ट्रियाँ गृह मन्त्रालय के अर्द्धसैनिक बल, राज्य पुलिस, अन्य सरकारी विभागों व निर्यात सहित असैनिक माँगकर्ताओं के लिए भी गोलाबारूद व शस्त्र की आपूर्ति करती है।

¹³ कार्य के आधार पर फैक्ट्रियों को धातु क्रय (5 निर्माणी) अभियांत्रिक (13 निर्माणी) शस्त्र सज्जित वाहन (6 निर्माणी) फिलिंग (5 निर्माणी) रासायनिक (4 निर्माणी) उपस्कर एवं वस्त्र (6 निर्माणी)

वर्ष 2010-11 के दौरान, आयुध फैक्ट्रियों ने 2009-10 के दौरान 881 मदों के प्रति 938 प्रधान मदों का निर्माण किया। उपरोक्त मदों में टैंक विरोधी गन, एयरक्राफ्ट विरोधी गन, फील्ड गन, मोर्टर, लघु शस्त्र, उनके गोलाबारूद सहित खेल हथियार, बम, राकेट, प्रोजेक्टाइल, ग्रेनेड, माइन, डिमोलिशन चार्ज, डेथ चार्ज, पाइरोटेक्निक स्टोर्स, परिवहन वाहन, ऑप्टिकल एवं अग्नि नियन्त्रण उपकरण, ब्रिज, एसाल्ट बोट, कपड़े एवं चमड़े की मदे, पैराशूट आदि शामिल है। यह उत्पाद श्रृंखला सभी आयुध फैक्ट्रियों के उत्पादन के सकल मूल्य का 84 प्रतिशत भाग बनता है।

8.1.3 श्रम शक्ति

आयुध फैक्ट्री संगठन के कार्मिकों को निम्नवत वर्गीकृत किया गया है: (i) वरिष्ठ पर्यवेक्षण स्तर के अधिकारी (ii) कनिष्ठ पर्यवेक्षण स्तर पर एवं लिपिकीय स्थापना में पदस्थ “अराजपत्रिक” (एन.जी.ओ.) अथवा गैर-औद्योगिक (एन.आई.ई.) कर्मचारी (iii) औद्योगिक कर्मचारी (आई.ई.) जो उत्पादन एवं रखरखाव के कार्य में संलग्न होते हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या को निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:-

कर्मचारियों का वर्ग	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजपत्रित अधिकारी	3877	4036	3947	3481	8306
कुल श्रमशक्ति पर राजपत्रित अधिकारियों की प्रतिशतता	3.47	3.77	3.84	3.50	8.40
एन.जी.ओ./एन.आई.ई. इस.	33783	32359	31105	30482	25302
कुल श्रमशक्ति पर एन.जी.ओ./ एन.आई.ई.स. की प्रतिशतता	30.20	30.22	30.27	30.67	25.58
औद्योगिक कर्मचारी	74181	70666	67717	65411	65306
कुल श्रमशक्ति पर औद्योगिक कर्मचारियों की प्रतिशतता	66.33	66.01	65.89	65.82	66.02
योग	111841	107061	102769	99374	98914

पूर्ववर्ती सारणी से यह स्पष्ट होता है कि आयुध फैक्ट्री संगठन की श्रमशक्ति में निरन्तर कमी आई है। वर्ष 2006-07 की तुलना में वर्ष 2010-11 में श्रमशक्ति में 12 प्रतिशत की कमी थी। वर्ष 2006-07 की तुलना में वर्ष 2010-11 में औद्योगिक कर्मचारियों एवं अराजपत्रित/ गैर- औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या में क्रमशः 12 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत की कमी थी। वर्ष 2010-11 में राजपत्रित अधिकारियों (वर्ग ‘क’ एवं वर्ग ‘ख’ अधिकारी शामिल है) की संख्या 4825 (139 प्रतिशत) में तेजी से बढ़ोतरी हुई।

8.1.4 ओ.एफ.बी के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण

8.1.4.1 राजस्व व्यय

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान राजस्व व्यय¹⁴ का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आयुध फैक्ट्रियों द्वारा किया गया कुल व्यय	सशस्त्र सेनाओं को उत्पाद आपूर्ति से प्राप्तियाँ	अन्य प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ ¹⁵	कुल प्राप्तियाँ	आयुध फैक्ट्रियों की शुद्ध अधिशेष (5-2)
1	2	3	4	5	6
2006-07	6191.89	5147.77	1384.52	6532.29	340.40
2007-08	7125.63	5850.65	1464.12	7314.77	189.14
2008-09	9081.28	6123.38	1474.54	7597.92	(-)1483.36
2009-10	10812.10	7531.08	1545.01	9076.09	(-)1736.01
2010-11	10903.21	9824.99	1665.78	11490.77	587.56

वर्ष 2010-11 के लिए व्यय 2009-10 की तुलना में ना के बराबर (0.76 प्रतिशत) बढ़ा। सशस्त्र बल, अन्य मांगकर्ता और विविध की निर्गम आपूर्ति के प्रति कुल प्राप्तियों के हालांकि वर्ष 2009-10 में ₹ 9076.09 करोड़ से वर्ष 2010-11 में ₹ 11490.77 करोड़ की वृद्धि हुई जो 26.60 प्रतिशत है।

हमने देखा कि मुख्य नियंत्रक रक्षा लेखा द्वारा अक्टूबर 2007 में जारी अनुदेशों के उल्लंघन में, 13 आयुध फैक्ट्रियों के लेखा अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन अर्थात् 31 मार्च 2011 को फैक्ट्रियों द्वारा प्रस्तुत अग्रिम निर्गम वाउचरों को स्वीकार किया और उन्होंने सैन्य बलों/ अन्य स्थापनाओं को समान निर्गम के एवज में ₹ 2210.48 करोड़ डैबिट किये जबकि ये मदे प्रत्यक्ष रूप से उन्हें अप्रैल 2011 तथा अगस्त 2011 के बीच निर्गमित हुई थीं। (ब्योरे के लिए परिशिष्ट-II देखें)। बार-बार इस मामले के लेखापरीक्षा आपत्तियों की अनदेखी की गई। आगे, आयुध फैक्ट्री बड़मल ने 31 मार्च 2011 को अग्रिम निर्गम वाउचर इस साक्ष्य के साथ तैयार किया कि उन्हें ₹ 388.54 करोड़ का सामान सैन्य को जारी कर दिया है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से 12 दिसम्बर 2011 तक ₹ 53.32 करोड़ का सामान सेना को जारी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ, वर्ष 2010-11 के लिए व्यय में सामग्री ₹ 8.45 करोड़ और श्रम ₹ 1.77 करोड़ दिसम्बर 2011 तक कच्चा माल न मिलने के कारण नामित नहीं किया था। विभिन्न मांगकर्ताओं के निर्गम के लेखांकन में लगातार कमी के कारण कुल प्राप्तियाँ ₹ 2210.48 करोड़ से बढ़ गई थी जो ओ.एफ.बी. को वर्ष 2010-11 में अधिशेष दर्शाने में योग्य बनाया। संयोगवश, ओ.एफ.बी. ने वर्ष 2009-10 के सन्दर्भ में वर्ष 2010-11 में 29 प्रतिशत वृद्धि करने का दावा किया। वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 2210.48 करोड़ के बढ़े हुए मामले को ध्यान में रखते वास्तविक वृद्धि 2.25 प्रतिशत थी।

¹⁴ स्रोत -विनियोजन लेख

¹⁵ अन्य प्राप्तियाँ एवं वसूलियों में आर.आर. कोष के स्थानान्तरण के कारण प्राप्तियाँ, अधिक/अप्रचलित भण्डार के विक्रय, पुलिस सहित एम.एच.ए. को निर्गम, केन्द्र तथा राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सिविल व्यापार, निर्यात एवं विविध प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

8.1.4.2 राजस्व व्यय का रुझान(प्रवृत्ति)

वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान राजस्व व्यय का रुझान नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	व्यय का राजस्व शीर्ष	व्यय		वृद्धि(+)/ कमी (-)	
		2009-10	2010-11	योग	प्रतिशत
1.	निर्देशन एवं प्रशासन	77.76	74.36	(-)3.40	(-)4.37
2.	अनुसंधान	32.08	39.95	(+)7.87	(+)24.53
3.	रखरखाव	19.79	20.86	(+) 1.07	(+)5.41
4.	विनिर्माण	3566.13	3502.60	(-)63.53	(-)1.78
5.	परिवहन	85.13	110.73	(+)25.60	(+)30.07
6.	सामान	5965.16	5706.32	(-)258.84	(-)4.34
7.	कार्य	50.36	57.81	(+)7.45	(+)14.79
8.	नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन	228.24	207.82	(-)20.42	(-)8.95
9.	नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन (आर.आर) निधि का अन्तरण	280	600	(+)320	(+)114.29
10	अन्य व्यय	507.45	582.76	(+)75.31	(+)14.84
	कुल योग	10811.77	10903.21	(+)91.44	(+)0.85

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है

- 2010-11 के दौरान कुल राजस्व व्यय में ₹ 91.44 करोड़ 2009-10 के तुलना में ना के बराबर (0.85 प्रतिशत) वृद्धि हुई। तत्व वार व्यय के रुझान के विश्लेषण से मालूम हुआ कि 2009-10 की तुलना में 2010-11 में सामान, विनिर्माण और नवीनीकरण /प्रतिस्थापन व्यय पर क्रमशः 4.34 प्रतिशत, 1.78 प्रतिशत, एवं 8.95 प्रतिशत कमी आई थी। जबकि “नवीनीकरण/प्रतिस्थापन निधि के अन्तरण” (114.29 प्रतिशत) एवं “अन्य व्यय” (14.84 प्रतिशत) शीर्ष के अन्तर्गत वृद्धि हुई।
- वर्ष के प्रारम्भ में बजट आकलन के आधार पर कुछ राशि मेजर शीर्ष 2079 के माइनर शीर्ष संख्या 797 (आर.आर निधि का अन्तरण) के अधीन “नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन निधि” के लिए चिन्हित करके रख ली थी। जब संयन्त्र एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति की जाती है तो मेजर शीर्ष 2079 के माइनर शीर्ष 797 में क्रेडिट करके अर्थात् नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन निधि से अन्तरण मुख्य शीर्ष 2079 के माइनर शीर्ष 106 में तत्सम्बन्धी डेबिट करके अर्थात् नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन में प्रविष्टि

कर दी जाती है। हमने पाया की राशि ₹ 600 करोड़ का आबंटन शीर्ष “आर . आर. निधि के अंतरण” के अंतर्गत किया गया था और ओ.एफ.बी. ने ₹ 207.94 करोड़ के संयंत्र एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति हेतु इस निधि से आहरण किया और शेष ₹ 392.06 करोड़ भारत की संचित निधि में वापिस जमा करने की बजाय मेजर शीर्ष 8226 के माइनर शीर्ष 102 के अन्तर्गत पब्लिक निधि लेखा में रख लिया गया । परिणामस्वरूप 2010-11 के विनियोजन लेखे में ओ.एफ.बी.का व्यय ₹ 392.06 करोड़ से अधिक हो गया। अतिरिक्त धन के स्थानांतरण को स्पष्ट करते हुए ओ.एफ.बी ने कहा कि आने वाले वर्षों में आधुनिकीकरण के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होगी क्योंकि मंत्रालय के दिशानिर्देशों के आधार पर बहुत बड़ा आधुनिकीकरण विचाराधीन था। यह तर्क उचित नहीं है क्योंकि ओ.एफ.बी ने स्वयं स्वीकार किया है कि संयंत्र एवं मशीनरी के वार्षिक मूल्यहास के समान एवं वार्षिक प्रतिस्थापित के मोटे तौर पर व्यय की राशि वार्षिक आर.आर निधि में वार्षिक अन्तरण कर देनी चाहिए। एक अधिमाप आरक्षित निधि सृजन से संयंत्र एवं मशीनरी के आर्थिक मूल्य में कमी के समान निधि एक तरफ रखने से मूल समस्या हल नहीं हुई।

निर्देशों के अनुसार, आयुध फैक्ट्रियों द्वारा सशस्त्र बलों से निर्गमों की वास्तविक मूल्य की वसूली करने की जरूरत है। हमने देखा कि 12 मामलों में जहां तीन फैक्ट्रियों में यानि आयुध फैक्ट्री खमरिया, आयुध फैक्ट्री चन्दा एवं आयुध फैक्ट्री बड़मल ने अनुमानित लागत से कम कीमतों की स्वीकृति के कारण ₹ 55.30 करोड़ कम वसूल किये हैं। 21 अन्य मामलों में, जो सशस्त्र बलों/ अन्य सरकारी संगठनों की आपूर्ति से सम्बन्धित है फैक्ट्रियों ने जारी मूल्य असामान्य रूप से अनुमानित लागत से कहीं अधिक निर्धारित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 449.35 करोड़ असामान्य लाभ का अर्जन हुआ।

₹ 2210.48 करोड़ के निर्गमों की अधिक बुकिंग, भारत के सार्वजनिक लेखों में ₹ 392.06 करोड़ निधि रखने के कारण अधिक अन्तरण और साथ ही साथ दोषपूर्ण कीमत तंत्र के कारण असामान्य लाभ ₹ 394.05 करोड़ अर्जित पर विचार करने के पश्चात वर्ष 2010-11 में विभिन्न शीर्षों में कुल व्यय एवं कुल वसूलियां क्रमशः ₹ 10511.15 करोड़ एवं ₹ 8886.24 करोड़ थी जबकि ओ.एफ.बी. ने वर्ष के विनियोजन लेखे में ₹10903.21 करोड़ एवं ₹ 11490.77 करोड़ दर्शाया हुआ था। अतः ओ.एफ.बी. ने भारत की संचित निधि में से ₹1624.91 करोड़ की बजटीय सहायता प्राप्त की जबकि यह उनके विनियोजन लेखे (2010-11) में भारत की संचित निधि के लिए ₹ 587.56 करोड़ के अंशदान के रूप में परिलक्षित था।

8.1.5 उत्पादन लागत

वर्ष 2010-11 के दौरान, उत्पादन लागत पर विभिन्न घटकों की लागत का प्रतिशत साथ ही साथ समूहवार/घटकवार लागत का विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	फैक्ट्रियों का समूह	उत्पादन लागत	प्रत्यक्ष भण्डार	प्रत्यक्ष व्यय	प्रत्यक्ष श्रम	उपरिव्यय प्रभार		
						स्थायी उपरिव्यय	परिवर्तनशील उपरिव्यय	कुल उपरिव्यय
1.	सामग्री एवं संघटक (एम. एण्ड सी)	1838.25	822.18 (44.72)	71.70 (3.90)	221.26 (12.04)	488.59 (26.58)	234.52 (12.76)	723.11 (39.34)
2.	शस्त्र, वाहन एवं उपस्कर (डबल्यू वी एण्ड ई)	3261.97	1795.48 (55.04)	20.92 (0.64)	352.97 (10.82)	783.80 (24.03)	308.80 (9.47)	1092.60 (33.50)
3.	गोला बारूद एवं विस्फोटक (ए एण्ड ई)	4907.29	3402.55 (69.34)	28.26 (0.58)	348.09 (7.09)	778.45 (15.86)	349.95 (7.13)	1128.40 (22.99)
4.	शस्त्र सज्जित वाहन(ए.वी.)	3149.52	2351.50 (74.66)	15.06 (0.48)	158.84 (5.04)	487.28 (15.48)	136.84 (4.34)	624.12 (19.82)
5.	आयुध उपस्कर (ओ.ई)	855.08	338.15 (39.55)	0.36 (0.04)	237.25 (27.75)	210.57 (24.62)	68.75 (8.04)	279.32 (32.67)
	योग	14012.11	8709.85 (62.16)	136.30 (0.97)	1318.41 (9.41)	2748.69 (19.62)	1098.86 (7.84)	3847.55 (27.46)

नोट:- कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़ें कुल उत्पादन लागत पर विशेष घटक की लागत के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि गोलाबारूद एवं विस्फोटक समूह की फैक्ट्रियों में सभी पांच समूहों की फैक्ट्रियों के महज ₹4907.29 करोड़ की सर्वाधिक उत्पादन लागत दर्ज की गई। दूसरी तरफ आयुध उपस्कर समूह की फैक्ट्रियों में ₹855.08 करोड़ की न्यूनतम उत्पादन लागत दर्ज की गई। ओ.एफ.बी. का औसत उपरिव्यय प्रभार सभी समूहों के उत्पादन लागत का 27.46 प्रतिशत था। फैक्ट्रियों के समूह एम एण्ड सी, डबल्यू वी. एण्ड ई. और ओ.ई.का औसत उपरिव्यय प्रभार अधिक था जबकि ए.एण्ड ई और ए.वी. फैक्ट्रियों के समूह में यह औसत से कम था।

8.1.6 उच्च पर्यवेक्षण तथा अप्रत्यक्ष श्रम प्रभार

प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष श्रम प्रभार, पर्यवेक्षण प्रभार एवं प्रत्यक्षश्रम पर अप्रत्यक्ष श्रम का प्रतिशत साथ ही साथ प्रत्यक्ष श्रम प्रभार पर पर्यवेक्षण प्रभार का प्रतिशत का ब्यौरा परिशिष्ट-III में दिया गया है।

यह देखा जा सकता है कि आयुध उपस्कर समूह को छोड़कर सभी समूहों में वर्ष 2010-11 में प्रत्यक्ष श्रम प्रभार पर पर्यवेक्षण प्रभार का प्रतिशत अधिक था। प्रत्येक ₹ 1 के खर्च पर प्रत्यक्ष श्रम पर्यवेक्षण प्रभार ₹1.18 एवं ₹1.40 के मध्य था। क्योंकि वर्ग 'क' एवं 'ख' अधिकारी जो पर्यवेक्षण प्रभार के प्रमुख घटक के पारिश्रमिक के रूप में हैं, की संख्या मात्र 8306 थी जबकि औद्योगिक कर्मचारी जिनका पारिश्रमिक प्रत्यक्ष श्रम का एक महत्वपूर्ण कारक था, की संख्या 65,306 थी जो पर्यवेक्षण प्रभार के परस्पर प्रत्यक्ष लागत के प्रतिरूप से बाहर थी। जो भी हो, प्रत्यक्ष श्रम प्रभार पर पर्यवेक्षण प्रभार की प्रतिशतता को एक उचित स्तर पर लाये जाने की जरूरत है।


8.1.7. उत्पादन प्रोफाइल

गोलाबारूद , शस्त्र एवं वाहन, सामग्री एवं संघटक तथा शस्त्र सज्जित वाहनों के लिए उत्पादन कार्यक्रम एक वर्ष हेतु निर्धारित किये गए थे जबकि उपस्कर मर्दों के लिए चार वर्षीय कार्यक्रम निर्धारित किए गये थे। विगत पांच वर्षों के दौरान मांगो, निश्चित लक्ष्य तथा लक्ष्य को पूरा करने में कमी का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

वर्ष	मर्दों की संख्या जिसके लिए मांग उपलब्ध थी	मर्दों की संख्या जिनके लिए लक्ष्य निश्चित था	मर्दों की संख्या जिनका निर्माण लक्ष्य के अनुसार हुआ	मर्दों की संख्या जिनके लिए लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका	निश्चित लक्ष्य के सन्दर्भ में कमी की प्रतिशतता
2006-07	552	438	321	117	26.71
2007-08	628	507	360	147	28.99
2008-09	419	419	296	123	29.36
2009-10	605	434	300	134	30.88
2010-11	1016	639	416	223	34.90

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत पांच वर्षों के दौरान आयुध फैक्ट्रियों ने कभी भी अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया। वर्ष 2010-11 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 1016 मर्दों के लिए 68 प्रतिशत मर्दों की मांग में वृद्धि हुई। यद्यपि केवल 639 मर्दों के लिए आपस में लक्ष्य निर्धारित किये गए थे। यहाँ तक कि लक्ष्य हासिल करने में 35 प्रतिशत की कमी थी।

ओ.एफ.बी सभी मर्दों के लक्ष्य हासिल करने में विफल रही जिनके लिए मांग उपलब्ध थी इन मर्दों पर सम्भवतः निर्धारित लागत भार को पूर्व में बन्द करके भार मुक्त करने के साथ-साथ अधिक उपरिच्यय के संविभाजित करने के कारण अन्य उत्पादन मर्दों की लागत में वृद्धि हुई है।



8.1.8 क्षमता का उपयोग

पिछले पांच वर्षों के दौरान मशीन घन्टों के रूप में क्षमता का उपयोग जिस सीमा तक किया गया उसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

(मशीन घंटों के रूप में क्षमता का उपयोग)

(घंटे लाखों में)

वर्ष	उपलब्ध मशीन घंटे	उपयोग किये गये मशीन घंटे	क्षमता उपयोग की प्रतिशतता
2006-07	1472	1120	76.08
2007-08	1351	1147	84.90
2008-09	1696	1294	76.30
2009-10	1839	1261	68.57
2010-11	1830	1311	71.64
योग	8188	6133	74.90

वर्ष 2009-10 के दौरान 68.57 की तुलना में आयुध फैक्ट्रियों द्वारा 2010-11 में मशीनों का उपयोग 71.64 के प्रतिशत में सुधार हुआ है। फिर भी, क्षमता का उपयोग वर्ष 2007-08 में उपार्जित 84.90 प्रतिशत के उच्चतर स्तर तक नहीं पहुँच सका। आयुध फैक्ट्रियों में उपलब्ध मशीन घण्टों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ओ.एफ.बी. द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु पहल करनी चाहिए।

8.1.9 उपभोक्ताओं को निर्गम (मांगकर्ताओं)


विगत पांच वर्षों के दौरान मांगकर्ता वार निर्गम का मूल्य निम्नवत था:

(₹ करोड़ में)

मांगकर्ता का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	स्पील ओवर को छोड़कर 2010-11 में निर्गम
थल सेना	4535.43	5252.15	5557.66	7054.12	9225.15	7286.00
नौसेना	130.76	119.39	179.41	124.40	243.98	238.76
वायु सेना	208.09	239.53	221.02	208.20	219.58	184.71
एम.ई.एस.अनुसंधान एवं विकास (अन्य रक्षा विभाग ओ.डी.डी.)	143.08	145.63	124.67	116.40	169.04	97.16
कुल रक्षा	5017.36	5756.70	6082.76	7503.13	9857.20	7806.63
सिविल व्यापार एवं निर्यात	1179.98	1181.11	1146.55	1212.13	1357.76	1198.40
कुल निर्गम	6197.34	6937.81	7229.31	8715.25	11214.96	9005.03

हालांकि 2010-11 के दौरान कुल निर्गम का मूल्य (₹ 11214.96 करोड़) विगत वर्ष की अपेक्षा 26.67 प्रतिशत बढ़ गया, वर्ष 2010-11 के दौरान इन मांगकर्ताओं को वास्तविक निर्गम में 3.32 प्रतिशत (₹ 9005.03 करोड़) की मामूली वृद्धि हुई। जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट से स्पष्ट है, 2010-11 के दौरान कुल निर्गम मूल्य के लगभग 80.91 प्रतिशत के साथ, थल सेना आयुध फैक्ट्रियों के उत्पादों का प्रमुख प्राप्तकर्ता रही।

2010-11 के दौरान सेवाओं और दूसरे मांगकर्ता को किया गया निर्गम (₹. करोड़ में)



8. 1.10 सिविल व्यापार

आयुध फैक्ट्रियों ने उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता के अधिकतम उपयोग तथा बजट पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से, जुलाई 1986 से, सिविल व्यापार का कार्य आरम्भ किया। 2006-2011 के दौरान गृह मंत्रालय तथा राज्य पुलिस विभागों को की गयी आपूर्ति के अतिरिक्त सिविल व्यापार का टर्न ओवर निम्नवत था:

(₹करोड़ में)

वर्ष	संलग्न फैक्ट्रियों की संख्या	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता
2006-07	33	279.16	298.56	106.95
2007-08	32	335.01	359.56	107.33
2008-09	39	351.12	329.30	93.79
2009-10	27	374.23	425.18	113.61
2010-11	27	464.50	466.86	100.50

यद्यपि 2009-10 से 2010-11 में सिविल व्यापार के निर्गम मूल्य में ₹ 425.18 करोड़ से ₹ 466.86 करोड़ स्रोतो की वृद्धि हुई अभी भी 2010-11 में उपलब्धि 2009-10 से 13.11 प्रतिशत कम थी।

8. 1.11 निर्यात

2006-07 से 2010-11 के दौरान, निर्यात के लक्ष्य के संदर्भ में उपलब्धि का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है: -

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संलग्न फैक्ट्रियों	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी(-) अधिकता (+)	लक्ष्य के संदर्भ में कमी(-)/अधिकता (+) की प्रतिशतता
2006-07	13	25.00	15.12	(-)9.88	(-)39.52
2007-08	10	30.00	27.44	(-)2.56	(-)8.53
2008-09	11	35.00	41.07	(+)6.07	(+)17.34
2009-10	13	41.30	12.30	(-)29.00	(-)70.22
2010-11	08	44.00	35.70	(-)8.30	(-)18.86

हालांकि 2010-11 के दौरान, निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि हुई, यह अभी भी लक्ष्य से 18.86 प्रतिशत कम था। ओ.एफ.बी. ने (नवम्बर 2011) इस कमी का मुख्य कारण जलपोत की अनुपलब्धता के कारण एक विदेशी फर्म को ₹ 6.68 करोड़ मूल्य के गोलाबारूद का गैर-प्रेषण बताया। 31 मार्च 2011 को विदेशी सरकारों को की गई आपूर्ति के प्रति विदेश मन्त्रालय से प्राप्त होने वाली धनराशि ₹5.93 करोड़ थी। धनराशि की वसूली के लिए आयुध फैक्ट्री बोर्ड द्वारा शीघ्र कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

8.1.12 भंडार प्रबन्धन

आयुध फैक्ट्रियों में 2006-07 से 2010-11 के दौरान कुल सामग्री के भंडारण की स्थिति निम्नवत थी:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
1.	कार्यशील भंडार						
ए.	सक्रिय	1734.00	2160.00	2354.00	2732.00	4093.00	49.82
बी.	निर्गमित न होने वाले	256.00	333.00	322.00	297.00	346.00	16.50
सी.	कम निर्गमित होने वाले	194.00	211.00	287.00	507.00	574.00	13.21
	कुल कार्यशील भंडार	2184.00	2704.00	2963.00	3536.00	5013.00	41.77
2.	अनुपयोगी एवं अप्रचलित	14.00	14.00	26.00	39.00	20.00	(-)48.72
3.	अधिक/रद्दी	80.00	81.00	68.00	64.00	68.00	6.25
4.	अनुरक्षण भंडार	87.00	79.00	73.00	73.00	76.00	4.11
	योग	2365.00	2878.00	3130.00	3712.00	5177.00	39.47
5.	खपत के दिनों के संदर्भ में औसत भंडारण	169	160	149	177	199	12.43
6.	कुल कार्य-शील भंडार के प्रति निर्गमित न होने वाले व कम निर्गमित होने वाले भंडार का प्रतिशत	20.60	20.12	20.55	22.74	18.35	(-)19.30

2009-10 की तुलना में 2010-11 के दौरान खपत के दिनों की संख्या के संदर्भ में औसत भंडारण 12.43 प्रतिशत बढ़ गया। यह ओ. एफ.बी. का निर्णय की तीन वर्षों की आवश्यकता के (दो वर्ष जमा 50 प्रतिशत विकल्प उपबंध) लिए कीमत परिवर्तन धारा सहित पर सामग्री की अधिप्राप्ति बजट आबंटन और स्टोर की शैल्फ लाईन की अनुरूपता के अनुसार सुपुर्दगी सिड्यूल के लिए कार्यवाही करने की सहमति देने के फैसले के कारण हुआ। हालांकि कम से कम पाँच फैक्ट्रियों (ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री, देहरादून, भारी वाहन फैक्टरी आवड़ी, आयुध फैक्ट्री देहरादून, आयुध फैक्टरी कानपुर, मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री, अम्बरनाथ) द्वारा 31 मार्च 2011 को परिशिष्ट-IV में दिए गए विवरण के अनुसार इन फैक्ट्रियों में स्टेज्ड वितरण तंत्र पूरी तरह लागू न होने के कारण अत्यधिक मात्रा में स्टॉक रखा गया। इन फैक्ट्रियों में धनिक अवरुद्ध को रोकने के लिए मजबूत भंडार प्रबंधन तथा अधिक स्टोर को रखने की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

8. 1.12.1 तैयार भंडार का भंडारण

प्रधान नियंत्रक लेखा (फैक्ट्रियाँ) कोलकाता द्वारा तैयार 2010-11 के लिए आयुध फैक्ट्री संगठन के वार्षिक लेखे की पुनरीक्षा से प्राप्त, पिछले पाँच वर्षों के दौरान तैयार माल के भंडारण (पूर्ण वस्तुएँ एवं संघटक) की स्थिति निम्नवत थी :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
तैयार वस्तुओं का भंडारण	125.11	79.00	506.00	166.59	112.62
कुल उत्पादन लागत	7957.53	9312.61	10610.40	11817.89	14012.12
निर्गम दिवस के रूप में तैयार भंडार का भंडारण	5	3	17	5	3
कुल उत्पादन लागत की प्रतिशतता के रूप में भंडारण	1.57	0.85	4.77	1.41	0.80
तैयार संघटक का भंडारण	465.45	617.00	458.00	1015.04	1101.73
खपत के दिनों की संख्या के रूप में तैयार संघटकों का भंडारण	52	44	38	85	65
कुल उत्पादन लागत की प्रतिशतता के रूप में तैयार संघटकों का भंडारण	5.85	6.63	4.32	8.59	7.86

यद्यपि 31 मार्च 2011 को तैयार (पूर्ण) वस्तुओं के मूल्य में 32.40 प्रतिशत की कमी आई, 2009-10 की तुलना में, 2010-11 में तैयार संघटकों का मूल्य 8.54 प्रतिशत बढ़ गया। भारी मात्रा में तैयार संघटकों के शीघ्र उपयोग के लिए तत्काल कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि 2010-11 के दौरान आयुध फैक्ट्री संगठन द्वारा तैयार संघटकों के उपयोग की लागत किसी भी लेखे में नहीं दर्शायी गयी है। 2010-11

के वार्षिक उत्पादन लेखे के नीचे केवल एक फुट नोट में यह दिखाया गया कि उत्पादन में उपयोग किए गए तैयार संघटकों की लागत ₹ 6346.38 करोड़ थी। लेखापरीक्षा की अनुशंसा है कि ओ. एफ. बी. अपने संचित वार्षिक लेखे में, उत्पादन में खपत किए गए तैयार संघटकों की लागत को दर्शाने हेतु एक सिस्टम बनाया जाए।

8. 1.13 जारी कार्य

आयुध फैक्ट्री का महाप्रबंधक, उत्पादन कारखाने को एक अधिपत्र जारी करके किसी मद की दी हुई मात्रा के निर्माण के लिए प्राधिकृत करता है, जिसकी सामान्य वैधता छः माह की होती है। विभिन्न अधिपत्रों से संबंधित मद जो कारखानों में अर्धनिर्मित अवस्था में पड़े होते हैं उन्हें 'जारी कार्य'के रूप में जाना जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी कार्य की स्थिति निम्नवत थी:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च की स्थिति	जारी कार्य का मूल्य
2007	1179.31
2008	1265.00
2009	1961.82
2010	2121.75
2011	2297.06

2009-10 की तुलना में 31 मार्च 2011 को जारी कार्य का कुल मूल्य 8.26 प्रतिशत अधिक हो गया। 31 मार्च 2011 को कुल 27525 अधिपत्र बकाया थे। जिसमें से 21,957 अधिपत्र 2010-11 से संबंधित थे एवं शेष 5568 अधिपत्र 2010-11 के पूर्व के वर्षों से संबंधित थे, सबसे पुराना अधिपत्र 1993-94 से संबंधित था। बकाया अधिपत्रों की स्थिति भारी वाहन फैक्ट्री आवड़ी के सबसे ज्यादा (4115 अधिपत्र ₹ 502.92 करोड़ के), आयुध फैक्ट्री त्रिचि (3661 अधिपत्र ₹ 19.20 करोड़) आयुध फैक्ट्री मेडक (3042 अधिपत्र ₹ 255.33 करोड़) आप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री देहरादून (80.69 करोड़ मूल्य के 2865 अधिपत्र) और आयुध फैक्ट्री देहरादून (₹ 16.34 करोड़ मूल्य के 1965 अधिपत्र)। ओ.एफ.बी.द्वारा प्राधिकृत छः माह से अधिक समय से बकाया विशेषकर 1993-94 से 2007-08 की अवधि के बकाया अधिपत्रों के समापन के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

8. 1.14 हानियाँ

31 मार्च 2011 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान अपलेखित हानियों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान एवं परित्यक्त दावे	1.21	शून्य	0.22	शून्य	शून्य
2.	चोरी, धोखाधड़ी एवं लापरवाही के कारण हानि	0.55	29.11	0.28	0.17	4.97
3.	चोरी, धोखाधड़ी एवं लापरवाही के अलावा वास्तविक शेष में कमी के कारण हानि	4.65	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	पारगमन हानि	शून्य	0.16	6.46	16.85	21.38
5.	अन्य कारण (दोषयुक्त भंडारण के अलावा भंडार की कंडीशनिंग स्टोर जो प्रचलन से हटने के कारण स्क्रेप हो गया	0.34	19.58	180.41	1.07	122.64
6.	दोषयुक्त भंडारण हानि	0.45	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	भंडार से असम्बन्ध हानियाँ	883.70	333.90	73.75	233.19	518.20
	योग	890.90	382.75	261.12	251.28	667.19

2010-11 के दौरान अपलेखित हानियों में पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 415.91 लाख (166 प्रतिशत) की वृद्धि हुई ।

जून 2011 को, ₹ 110.43 करोड़ मूल्य के 247 मामलों में रक्षा मंत्रालय द्वारा नियमितीकरण किया जाना प्रतीक्षित था जिसमें से सबसे पुराना मद वर्ष 1964-65 से संबंधित था । आयुध फैक्टरी बोर्ड तथा मंत्रालय द्वारा इस तरह की हानियों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय के साथ-साथ हानियों को शीघ्रातिशीघ्र नियमित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ।

मामले को जून 2012 में रक्षा मंत्रालय को भेजा गया था, जुलाई 2012 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था ।

नोट: इस पैराग्राफ में शामिल आंकड़े, मुख्यतः प्रधान निदेशक लेखा(फैक्ट्रियों) कोलकाता द्वारा 2010-11 के लिए तैयार आयुध एवं आयुध उपस्कर फैक्ट्रियों के समेकित वार्षिक लेखे, प्रधान नियंत्रक लेखा (फैक्ट्रियों) कोलकाता एवं आयुध फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता द्वारा अनुरक्षित दस्तावेजों तथा प्रस्तुत सूचनाओं पर आधारित हैं ।

8.2 आयुध फैक्ट्रियों द्वारा पिनाका रॉकेट लांचर प्रणाली हेतु राकेट उत्पादन और जारी करने में विलम्ब

पिनाका बहु-नाली रॉकेट लांचर प्रणाली हेतु रॉकेटों के उत्पादन की परियोजना निर्धारित समय सूची से काफी पीछे है। गुणवत्ता संबंधी समस्याओं ने ₹ 44.51 करोड़ के मूल्यों के 407 रॉकेटों एवं ₹ 4.25 करोड़ के प्रणोदक की हानि को परिणित किया। विशिष्ट समय अवधि के दौरान रॉकेटों के उत्पादन में निरंतर विफलताओं और अवरोधकों ने सेना इकाई की सांग्रामिकता देरी की, जैसा कि अधिष्ठापन योजना में अपेक्षित था।

8. 2.1 प्रस्तावना

पिनाका एक बहु-नाली रॉकेट लांचर प्रणाली है, जो कि भारतीय सेना हेतु रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) द्वारा विकसित है। इनके विकास में सम्मिलित मुख्य प्रयोगशालाएँ आरमामेंट रिसर्च एंड डेवलेपमेंट स्टेबलिसमेंट (ए.आर.डी.ई.) और हाई एनर्जी मेटिरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी (एच.ई.एम.आर.एल.) थी। पिनाका के विकास में विलम्ब जिसे 1986 में मंत्रालय द्वारा सेना में 1994 से चरणबद्ध तरीके से प्रतिष्ठित करवाने के उद्देश्य के साथ संस्वीकृत किया गया था और इस विलम्ब जनित परिणाम को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को 1999 की प्रतिवेदन संख्या 7 (पैरा 23) में प्रत्यक्ष आरव्या थी। रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2006 में, अर्थात् परियोजना के संस्वीकृत होने के 20 वर्षों के उपरान्त इस प्रणाली के विभिन्न पुर्जों के उत्पादन को भिन्न उत्पादक शाखाओं को सौंपा, जिसमें दो निजी संस्थाएँ¹⁶ (रॉकेट लांचरों), बी.ई.एम.एल., एक सरकारी उपक्रम (चेसिस सहायक वाहनों हेतु) और रॉकेटों हेतु आयुध फैक्ट्री बोर्ड सम्मिलित थे।


वर्ष 2007-12 अवधि के दौरान उसी वर्ष नवम्बर में सेना द्वारा ओ.एफ.बी. को आपूर्ति आदेश भेजा गया, जो कुल ₹ 767.28 करोड़ की लागत के 4752 रॉकेटों की आपूर्ति हेतु अपेक्षित था। ओ.एफ.बी. ने परिणामतः रॉकेटों के उत्पादन के कार्य हेतु नौ¹⁷ आयुध फैक्ट्रियों (ओ.एफ.) को नियत किया गया।

परियोजना के कार्य क्षेत्रानुसार ओ.एफ. अम्बाझारी विभिन्न रॉकेट पुर्जों / उप-संयोजकों के विनिर्माण हेतु और ओ.एफ. चंदा को रॉकेट की रिक्त सामग्री जारी हेतु अपेक्षित था। ओ.एफ. अम्बाझारी को जारी हेतु ओ.एफ. कानपुर को स्टेबलाईजर संयोजक के विनिर्माण का कार्य दिया गया, जबकि ओ.एफ. मेडक को ओ.एफ.चंदा के लिए विनिर्माण एवं पौड संयोजक को जारी करने का काम सौंपा गया। अन्य नामित सहायक फैक्ट्रियां विनिर्माण को सरल बनाने एवं रॉकेटों के जारी करने हेतु पुर्जों की आपूर्ति भी अपेक्षित थी।

¹⁶ मैसर्स लारसन एण्ड टर्बो लिमिटेड, मैसर्स टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड.

¹⁷ हेवी अलोही एनेटरेटर प्रोजेक्ट (एच.ए.पी.पी.) ट्रिची, ओ.एफ.कानपुर, मेटल एण्ड स्टील फैक्ट्री(एम.एस.एफ) ईसापोर, ओ.एफ.अम्बाझारी, मशीन टूल प्रोटोटाईप फैक्ट्री(एम.टी.पी.एफ) अम्बरनाथ, ओ.एफ.इटारसी, ओ.एफ.मेडक, ओ.एफ.देहू रोड और ओ.एफ.चन्दा।

अंतर- फैक्ट्री में पुर्जो/संयोजको आपूर्ति एवं रॉकेटों को अंतिम जारी करने का फ्लो चार्ट



फैक्ट्रियों को मौजूदा सुविधाओं में उत्पादन प्रारम्भ करना अपेक्षित था, यद्यपि तीनों फैक्ट्रियों अर्थात् ओ.एफ. अम्बाझारी, ओ.एफ. कानपुर एवं ओ.एफ. मेडक को सुविधाएँ बढ़ाने की आवश्यकता है।

अप्रैल - जुलाई 2011 के बीच ओ.एफ.चन्दा द्वारा रॉकेटों के उत्पादन और जारी करने की एवं पुर्जो और संयोजनों से नामित सहयोग फैक्ट्रियों हमारी लेखा परीक्षा ने दर्शाया कि प्रगति लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हुई। परिणामस्वरूप, सैन्यदल का प्रशिक्षण एवं युद्ध अपव्यय आरक्षण को बनाए रखने के लिए सेना की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

8.2.2. परियोजना का कार्यान्वयन

8.2.2.1 परियोजना संस्वीकृत

मंत्रालय के अग्रिम निर्देशों (नवम्बर 2003) पर आधारित ओ.एफ.बी., तीन आयुध फैक्ट्रियों अर्थात् ओ.एफ.अम्बाझारी, ओ.एफ.कानपुर एवं ओ.एफ.मेडक में प्रतिवर्ष 1000 राकेटों के विनिर्माण हेतु सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) जनवरी 2006 में प्रस्तुत किया गया। मई 2007 में मंत्रालय ने डी.पी.आर को स्वीकृत किया एवं ₹ 106.59 करोड़ की लागत की तीन फैक्ट्रियों में विभिन्न सुविधाओं के निर्माण हेतु संस्वीकृत को प्रतिपादित किया। यद्यपि डी.पी.आर. में मई 2010 तक परियोजना की समाप्ति

को निर्धारित किया था। संस्वीकृति में परियोजना के समापन हेतु कोई समय सारणी निर्धारित नहीं की।

ओ.एफ.बी.ने (जुलाई 2012) में परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी में लगे तीन वर्ष से भी अधिक दीर्घ समय को आवश्यकताओं को पहचानने में लगे जस्सी प्रयत्नों, कच्चे माल हेतु स्ट्रोतो का पता लगाना एवं विनिर्माण की प्रक्रिया को संयंत्र और मशीनरी के संदर्भ में आरोपित करने को उत्तरदायी ठहराया। फिर भी 2007-12 की समयावधि के बीच सेना को 4752 रॉकेटों की आपूर्ति हेतु ओ.एफ.बी. की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए, परियोजना का अनुमोदन हेतु मंत्रालय द्वारा ली गई समयावधि भी लम्बी थी।

8.2.2.2 सिविल कार्यों के कार्यान्वयन में देरी

जैसा कि डी.पी.आर. में नियोजित था कि ओ. एफ. अम्बाझारी में उत्पादन स्थापित करना एवं सेवा सुविधाओं से संबंधित सिविल कार्यों¹⁸ को मई 2009 तक समाप्त करना था। जबकि ओ.एफ.बी द्वारा कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन मार्च 2009 में जारी की गई और इनकी समाप्ति को मार्च 2012 तक निर्धारित किया गया। जुलाई 2012 तक सेना अभियंता सेवाओं के अधीन भवनों के कार्यान्वयन का कार्य 90 प्रतिशत तक प्रगति पर था। सिविल कार्य की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन में देरी फैक्ट्री द्वारा कार्य के क्षेत्र में संशोधन के कारण हुई जिसे न तो डी.पी.आर में ना ही सरकार की स्वीकृति के लिए उपलब्ध कराया गया। परिणामस्वरूप ओ.एफ.बी द्वारा जारी किए जाने वाले आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन में विलम्ब हुआ। यह इंगित करता है कि डी.पी.आर की तैयारी में अत्यधिक समय लगने के बावजूद सिविल कार्यों को प्रयाप्त रूप से स्प्ररेखित नहीं किया गया था।

ओ एफ बी ने बताया कि ओ.एफ अम्बाझारी ने पहली बार मिश्रित सामग्री सहित इस आकार के रॉकेटों के विनिर्माण के क्षेत्र में साहसिक प्रवेश किया। और अतः उपलब्ध अनुभव और सूचना पर आधारित आवश्यकताओं, जिन्हे आरंभ में प्रस्तुत किया गया, आगे आने वाले समय में संशोधित करना पड़ा। उसने साथ ही कहा कि 90 प्रतिशत तक कार्य फरवरी 2012 तक पूर्ण हो गया था और शेष कार्य मार्च 2012 तक समाप्त होगा। यह जानकर कि आयुद्ध फैक्ट्रियों ने स्टीप लर्निंग कर्व का सामना किया है, ओ.एफ.बी का कार्य की शीघ्र समाप्ति की संभावना के बारे में किया दावा वास्तविक रूप में सही नहीं है। उसकी अप्रैल 2012 की अर्द्ध वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार शेष कार्यों की समाप्ति हेतु संशोधित समय सीमा 2012-13 की दूसरी तिमाही थी।

8.2.2.3 संयंत्र और मशीनरी की अधिप्राप्ति में विलम्ब

डी.पी. आर. के अनुसार मशीनरी की अधिप्राप्ति और उनको तीनों फैक्ट्रियों में फरवरी 2010 तक चालू करना था। ओ.एफ.बी ने बताया (जुलाई 2012) कि ओ.एफ. अम्बाझारी हेतु चार मशीनें एवं ओ.एफ कानपुर हेतु तीन मशीनें अभी भी अधिप्राप्ति की उच्च अवस्था में थीं। अतः आवश्यक मशीनों की अधिप्राप्ति एवं उनको चालू करना निर्धारित समय से दो वर्ष पीछे था।

¹⁸ कम्पोजिट, ट्यूब मैनुफैक्चरिंग, परीसीजन मैनुफैक्चरिंग एण्ड असेम्बली दुकाने और सेवा सुविधायें जैसे एयर कन्डीसनिंग, कोल्ड स्टोरज, क्रैन, वाटर टैंक, फायर हाईड्रन्ट.

आवश्यक मशीनों की अधिप्राप्ति में विलम्ब ने ओ.एफ. अम्बाझारी एवं ओ.एफ. कानपुर को वस्तुओं और सेवाओं जैसाकि रिक्त आर.एच.ई.¹⁹ वारहैड टंगस्टन एलौय का पीएफ²⁰ वारहैड में परिवर्तन, प्रीफॉर्मड ब्लैक का मोटर ट्यूब, सीधे मोटर ट्यूब, मोटर ट्यूब लाइनर एसेंबली, प्लग एण्ड क्लॉजिंग एसेंबली सेंटर स्लीव एसेंबली, नोजल रीयर माल्डिंग, लांचर ट्यूब असेंबली, पोड की वायर हारनिसिंग आदि को व्यापार से लेने के लिए उत्साहित किया जिसे निम्न पैरा 8.2.3.2 में वर्णित किया गया है। समय से मशीनों की अधिप्राप्ति/चालू करके इसे टाला जा सकता था ।

8.2.2.4 सहायक सुविधाओं हेतु स्वीकृति जारी करने में विलम्ब

ओ.एफ.बी.ने मूलतः यह नियोजित किया था कि, प्रोपेलेंट का विनिर्माण इटारसी और राकेटों के भराव/ संयोजन एवं जारी ओ.एफ. चंदा की वर्तमान सुविधाओं में किया जाएगा। फिर भी उत्पादन स्तर पर ओ.एफ.बी. और फैक्ट्रियों ने विशेष रसायन जैसे आमोनियम परक्लोरेट प्रोपेलेंट हेतु आवश्यक की गैर-उपलब्धता का सामना किया, ओ.एफ.चंदा में राकेटों हेतु संचयन सुविधाओं में भी पर्याप्त कमी थी । इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ओ.एफ.बी.ने दिसम्बर 2010 और जुलाई 2011 में दो प्रस्तावों का अनुमोदन किया, एक रसायन संयंत्र की अधिप्राप्ति हेतु ₹ 26.48 करोड़ की लागत एवं किरकी की हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री (एच.ई.एफ.) में इसका चालू करना, और दूसरा ओ.एफ.चंदा में संचयन शैड के निर्माण हेतु ₹ 4.60 करोड़ की लागत का हांलाकि संचयन शैड के निर्माण की समाप्ति की सम्भावना दिसम्बर 2012 थी, जबकि रसायन संयंत्र का आदेश अप्रैल 2012 तक दिए गए ।

ओ.एफ.बी. ने बताया कि स्रोत्रों के विकास के सम्भव न होने के कारण अमोनियम परक्लोरेट के उत्पादन हेतु आंतरिक सुविधा का निर्माण आवश्यक था। इसने साथ ही कहा कि ओ.एफ.चंदा में राकेटों के निरन्तर उत्पादन हेतु अतिरिक्त संचयन सुविधा की आवश्यकता थी ।

उत्तर यह इंगित करता है कि परियोजना संरचना इस सीमा तक अपूर्ण थी कि आमोनियम परक्लोरेट की बाजार से स्रोतीकरण की संभावना को उचित तरह से मूल्यांकित नहीं किया गया था । उसी तरह राकेटों की संचयन हेतु जगह की आवश्यकता की सीमा का आगे तक उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए था । अतः त्रुटिपूर्ण योजना न सिर्फ परियोजना की समाप्ति में देरी का कारण बनी बल्कि प्रोपेलेंट के निर्विघ्न प्रवाह एवं तैयार राकेटों के संचयन को भी बाधित किया जैसा कि उत्तरवर्ती पैरा में वर्णित किया गया है ।

8.2.3 राकेटों का उत्पादन

सेना के लिए 4752 राकेटों (4080 पी.एफ. एवं 672 आर.एच.इ) के आदेश (नवम्बर 2006) को प्राप्त करने के पश्चात ओ.एफ.बी. ने (फरवरी 2007) में ओ.एफ.चंदा को, जोकि राकेटों के अंतिम भराव तथा समूह करने के लिए उत्तरदायी थे, उन्हें, सेना को 2007-08 से 2011-12 तक खेप में राकेट की आपूर्ति का कार्यभार दिया । साथ-साथ ओ.एफ.बी.ने इससे संबंधित फैक्ट्रियों के सभी मुख्य घटकों तथा समूहों के उत्पादन के लिए वार्षिक उत्पादन लक्ष्य का आबंटन किया । इसने घटकों तथा समूहों के उत्पादन तथा प्रेषण में कई गतिरोधों पर ध्यान दिया जोकि आंतरिक फैक्ट्री आपूर्ति की श्रृंखला को विघटित कर रही थी तथा परिणाम

¹⁹ रेडूसड हाई एक्सप्लोसिव

²⁰ परि फरागमैन्टिडे

स्वरूप उत्पादन में चूक तथा ओ.एफ.चंदा द्वारा राकेट के वितरण में परिणामिक विलंब हो रहा था जोकि निम्नवत है:-

8.2.3.1 उत्पादन एवं सेना को राकेटों का निर्गम

निम्नवत तालिका, सेना को ओ.एफ.चंदा द्वारा, 2007-08 से 2010-11 के दौरान आर.एच.ई. एवं पी.एफ. राकेटों के लक्ष्य एवं निर्गम को इंगित करती है।
राकेटों की लक्ष्यित आपूर्ति के निर्गम की उपलब्धियाँ सारणी में दर्शाई है।

वर्ष	आर.एच.ई. राकेट		पी.एफ. राकेट	
	लक्ष्य	निर्गम	लक्ष्य	निर्गम
2007-08	240	306	762	शून्य
2008-09	204	शून्य	816	101
2009-10	162	160	864	84
2010-11	100	204	900	706
कुल	706	670	3342	891

उपरोक्त सारणी यह दर्शाती है कि योजनाबद्ध तरीके से 1000 राकेटों के वार्षिक उत्पादन की उपलब्धि अभी बाकी थी। ओ.एफ.चंदा ने वर्ष 2007-08 में एक भी पी.एफ. राकेट तथा वर्ष 2008-09 में एक भी आर.एच.ई. राकेट की आपूर्ति नहीं कर पाए थे। यह मुख्य रूप से ओ.एफ. अम्बाझारी से पी.एफ. राकेट के लिए हार्डवेयर, ओ.एफ. देहू रोड़ से प्रज्वलन यंत्र और ओ.एफ. इटारसी से प्रणोदक की कम मात्रा में प्राप्ति के कारण एवं गुणवत्ता समस्याओं के कारण हुई थीं। तथ्यों को स्वीकारने के दौरान ओ.एफ.बी. ने राकेट के वितरण में आई कमी (जुलाई 2012) को ए.आर.डी.ई. द्वारा रूपरेखा में बदलाव लाना (2008-09 एवं 2009-10) के लिए तथा 2010-11 के लिए सहयोगी फैक्ट्रियों से आवश्यक हार्डवेयर बक्सों की अप्राप्ति के कारण बताया।

8.2.3.2 घटकों एवं समूहों का उत्पादन तथा वितरण

निम्नलिखित तालिका 2007-08 से 2010-11 के दौरान अलग-अलग आयुध फैक्ट्रियों द्वारा की गई मुख्य घटकों एवं समूहों के ब्यौरे तथा फीडर फैक्ट्रियों द्वारा की गई कम आपूर्ति के कारण को इंगित करता है।

सहयोगी फैक्ट्रियों द्वारा कम आपूर्ति दर्शाती तालिका
(परिमाण संख्याबद्ध है, अन्यथा उल्लेख के अतिरिक्त)

मद एवं शामिल फैक्ट्रियों के नाम	प्रेषित	लक्ष्य	निर्गम	कम आपूर्ति के कारण
ए. परियोजना के अंतर्गत फीडर फैक्ट्रियाँ				
स्टेबलाईजर समूह (ओ.एफ.कानपुर)	ओ.एफ. अम्बाझारी	3546	2024	मशीनों का प्रतिस्थापित एवं प्राप्ति में विलम्ब तथा वर्ष 2009-10 में ओ.एफ.बी.के निर्देश पर उत्पादन को रोकना
पी. एफ.सॉकेट (ओ.एफ.अम्बाझारी)	ओ.एफ.चंदा	2808	1314	स्टेबलाईजर समूह की कम तथा विलंबित आपूर्ति एवं ओ.एफ.कानपुर और एम.एस.एफ.ईशापोर से परि-फोरमड ब्लैंक

मद एवं शामिल फैक्ट्रियों के नाम	प्रेषित	लक्ष्य	निर्गम	कम आपूर्ति के कारण
पॉड समूह (ओ.एफ. अम्बाझारी)	ओ.एफ.चंदा	359	269	लॉन्चिंग ट्यूब की अउपलब्धता तथा 2009-10 में ओ.एफ.बी.द्वारा उत्पादन को विलंबित करना
पॉड समूह (ओ.एफ. मेडक)	ओ.एफ.चंदा	185	147	आपूर्ति में चूक (2007-08) एवं 2009-10 में आपूर्ति न होना । जून 2010 में आपूर्ति को ओ.एफ.चंदा के पास जगह के अभाव होने के कारण रोक लिया गया था ।
बी. अन्य फीडर फैक्ट्रियाँ				
प्री-फारमड ब्लैंक (एम.एस.एफ.ईशापुर)	ओ.एफ.अम्बाझारी	4088	3342	प्री-फारमड ब्लैंक के लिए विद्यमान क्षमता का परिसीमन एवं ओ.एफ. अम्बाझारी द्वारा इंटर फैक्ट्री मांगों (आई.एफ.डी.)का समापन/रद्द किया जाना मद के विनिर्देशित कठोरता से विचलन होने के कारण से
टंगस्टन बॉल (एच.ए.पी.पी. त्रीची)	ओ.एफ.अम्बाझारी	1,87,859 किलोग्राम	82,708 किलोग्राम	उपलब्ध आधार-तंत्र में अपर्याप्तता, दो आई.एफ.डी. के सुपुर्दगी में विलम्ब एवं ओ.एफ.अम्बाझारी के तीसरी आई.एफ.डी.के सुपुर्दगी अवधि के अनुसार निर्गमों को प्रतिबंधित करने के कारण
प्रज्वलन यंत्र (ओ.एफ. देहू रोड)	ओ.एफ. चंदा	4702	2346	रूपांकन में बहुधा किए गए संशोधन के कारण से मुख्य घटकों जैसे कि ए.एफ. किरकी से पलीता एवं व्यवसाय स्त्रोतों से कप एवं लिड की कम तथा विलंबित आपूर्ति
प्रणोदक (ओ.एफ. इटारसी)	ओ.एफ. चंदा	2736 सेट	1776 सेट	प्रणोदक से संबंधित एक आवश्यक संघटक की अप्राप्यता तथा गुणवत्ता समस्याएँ यानि मैट-ओ-बॉन्ड

फीडर फैक्ट्रियों (ओ.एफ.कानपुर, एम.एस.एफ.इशापोर एवं एच.ए.पी.पी. त्रिची) द्वारा महत्वपूर्ण घटकों तथा संयोजनों की आपूर्ति में हुई कमी ने ओ.एफ.अम्बाझारी में रॉकेट हार्डवेयर उत्पादन एवं वितरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया । इसके अलावा, अन्य फीडर फैक्ट्रियों (ओ.एफ. इटारसी, ओ.एफ.देहू रोड और ओ.एफ.मेडक/ओ.एफ.अम्बाझारी) द्वारा नोदक, प्रज्वलन यंत्र एवं पॉड समूहों के आपूर्ति में कमी के कारण ओ.एफ.चंदा द्वारा सेना को रॉकेटों के उत्पादन तथा वितरण में कमी उत्पन्न हुई, जैसा कि ऊपर दी हुई तालिका में दर्शाया गया है।

परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होने, फैक्ट्री के आंतरिक मदों के वितरण में दोषपूर्ण उत्पादन योजना एवं अन्य फीडर फैक्ट्रियों द्वारा आपूर्ति उत्पाद में गुणवत्ता समस्याओं के परिणामस्वरूप ओ.एफ.अम्बाझारी, ओ.एफ.कानपुर एवं ओ.एफ.मेडक पर ₹ 89.24 करोड़ के मूल्य वाले मुख्य घटकों एवं समूहों को अप्रैल 2008 से जून 2011 के दौरान व्यापार खरीद करने का दबाव बनाया गया था ताकि रॉकेटों के हार्डवेयर के निर्माण का भार उठाया जा सके।

जुलाई 2012 में ओ.एफ.बी ने कहा कि केवल 60 प्रतिशत संयोजित मद सामग्री एवं आवृत्ति बहाव ट्यूब के आंतरिक उत्पादन की योजना ओ.एफ.अम्बाझारी में हुई थी और इसीलिए

व्यापार पर निर्भरता अपरिहार्य हो गई थी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया विभिन्न आधार-तंत्रों के पूर्ण होने पर निर्भर थी, इस कारण से उत्पादन की शुरुआत सभी सुविधाओं के उपलब्ध होने से पहले नहीं की जा सकती थी। हालाँकि ओ.एफ.अम्बाझारी ने संयंत्र एवं मशीनरी के लिए ज्यादातर आपूर्ति आदेशों को जारी कर दिया था परन्तु कुछ निश्चित कारणों से कुछ संयंत्र तथा मशीनरी स्थापित नहीं किए जा सके, क्योंकि आपूर्ति आदेशों की प्राप्ति के बाद ज्यादातर व्यवसायिक प्रतिष्ठान इसका अनुपालन करने में असमर्थ रहे। अंततः ओ.एफ. अम्बाझारी को जबरन कई क्रियाकलापों के लिए पुनः निविदाओं को देने का सूत्रपात करना पड़ा। ओ.एफ.बी. ने दृढ़तापूर्वक यह कहा कि ओ.एफ. अम्बाझारी में पूर्ण आंतरिक उत्पादन तभी शुरू किया जा सकता है जब सभी सुविधाएँ उत्पन्न कराई जाएं।

अन्तर-फैक्ट्री आपूर्ति एवं घटकों को बाह्यस्रोतीकरण करवाने के विषय में आई बाधा पर ओ.एफ.बी. ने कहा -

- देशी ग्रेफाइट रॉड की अप्राप्यता के कारण ओ.एफ.कानपुर में स्टेबिलाइजर असेम्बली के उत्पादन में अवरोध उत्पन्न हुआ।
- टंगस्टन बॉल के उत्पादन प्रक्रिया की स्थापना करना एक बड़ी चुनौती थी एवं ट्रायल और एरर के द्वारा एच.ए.पी.पी.टी.सी में उपरोक्त की प्रतिपूर्ति की गई थी।
- पहले से बने हुए ब्लैंक के कठोरपन की समस्या को ए.आर.डी.ई. द्वारा संशोधन के बाद सुलझा लिया गया था, फलतः एम.एस.एफ.ईशापोर की उत्पादकता में कई गुना बढ़ोतरी हुई थी।
- ए.आर.डी.ई. द्वारा कप एवं लिड की रूपरेखा में प्रायः बदलाव किए जाने के कारण व्यवसायिक स्रोतों से इनकी आपूर्ति के संबन्ध पर असर हुआ, परिणामस्वरूप उन्होंने प्रज्वलन-यंत्रों की आपूर्ति ओ.एफ.देहू रोड से ओ.एफ.चंदा के लिए सीमित कर दी।

ओ.एफ.बी. का उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि परियोजना के विलिम्बित कार्यान्वयन के साथ ही रूपरेखा में बहुधा किए गए बदलाव के कारण अपेक्षित घटकों तथा समूहों के शुरुआती आंतरिक उत्पाद को आघात पहुँचा था तथा इस के कारण आयुध फैक्ट्रियों को मजबूरी में व्यवसाय पर निर्भर रहना पड़ा था।

8.2. 4. गुणवत्ता समस्याएँ

आयुध फैक्ट्रियों ने घटकों एवं समूहों के उत्पाद में कठिनाईयों का सामना किया जिससे उत्पादित किए गए घटक रूपरेखा में कमी पाए जाने के कारण अस्वीकार कर दिए गए रूपरेखा के अभाव निम्नवत है-

8.2. 4.1 वारहैडस, शीर्ष मोटर ट्यूब तथा नोदन इकाई में गुणवत्ता समस्याएँ

ओ.एफ. चंदा ने 2008-09 में ओ.एफ. अम्बाझारी द्वारा आपूर्ति किए हुए घटकों में कम वजन का होना एवं असंतुलित खाली वारहैडस (आर.एच.ई.)जैसी समस्याओं का सामना किया। साथ ही, 50 मोटर ट्यूब एवं 45 नोदन इकाई (₹3.69 करोड़ मूल्य वाली) जो ओ.एफ. अम्बाझारी द्वारा आपूर्ति थी उन्हें वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (एस.क्यू.ए.ई.) चंदा द्वारा 2010-11 के दौरान जंग लगने, छीजन/ काले धब्बों के कारण अस्वीकृत किया गया था जिसके कारण पी.एफ.रॉकेट का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

ओ.एफ.बी. ने कहा (जुलाई 2012) कि आर.एच.ई के वारहेडस् की कठिनाई को दूर कर लिया गया था साथ ही यह भी कहा कि नोदन इकाई की समस्या उत्पादन दोष के कारण न होकर स्प्ररेखा की समस्या के कारण थी, जिसका ए.आर.डी.ई. द्वारा अन्वेषण किया जा रहा था।

8.2.4.2 नोदक की गुणवत्ता समस्याएँ

ओ.एफ. इटारसी ने 2008-09 के दौरान 240 सैट नोदक का उत्पादन किया तथा 108 सैट की आपूर्ति ओ.एफ. चंदा को की। जॉच परीक्षण में 12 सैट की खपत हो गई। परीक्षण में गोलीबारी के बाद, दबाव बनाम समय ज्वलनशील दर से संबन्धित प्रोफाइल और नोदक के दबाव, अपेक्षित प्रतिमान पर नहीं पाए गए। इस निम्न यांत्रिक गुणधर्म के लिए निम्न गुणों वाले रसायन मिथाइल अजिरिडिनाइल फोसफाइड आक्साइड (एम.ए.पी.ओ.) जो खासकर शुद्धता से संबन्धित है, उसके उपयोग को कारण बताया गया। इसलिए एच.ई.एम.आर.एल.ने इस नोदक के आगे की प्रक्रिया को बंद करने का सुझाव दिया। वर्ष 2009 -10 के बाद से ओ.एफ. इटारसी ने उपयुक्त शुद्धता के एम.ए.पी.ओ का उपयोग करते हुए प्रणोदक का उत्पादन एवं वितरण किया। जून 2012 तक, ₹ 4.25 करोड़ की लागत के निम्न गुणवत्ता वाले 120 सैट नोदक ओ.एफ. इटारसी के पास मार्च 2009 से, रॉकेट उत्पादन में किसी उपयोग के आसार के बिना, पड़े हुए थे।

उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए, ओ.एफ.बी. ने कहा कि कड़े सुधार उपायों, जिनमें स्प्ररेखा एवं प्रक्रिया बदलाव शामिल है, को अपनाने के कारण प्रणोदक उत्पाद (जुलाई 2012) स्थिर हो गया था। यह उत्तर उन परिस्थितियों पर चुप्पी साधे हुए था, जिसमें ओ.एफ.इटारसी ने निम्न गुणवत्ता वाले प्रणोदक (एम.ए.पी.ओ. युक्त) का उत्पादन किया था।

8.2.4.3 प्रज्वलन-यंत्र में गुणवत्ता समस्याएँ

2008-09 के दौरान ओ.एफ.देहू रोड़ ने प्रज्वलन यंत्रों के उत्पादन में गुणवत्ता संबन्धित समस्याएँ, जैसे कप से फेनोलिक ढलाई भाग का अलगाव, निम्न कठोरता आदि का सामना किया। विचलन प्रबंधन बोर्ड के परामर्श के आधार पर 110 प्रज्वलन यंत्रों को विचलन के अंतर्गत स्वीकार किया गया था, जबकि बोर्ड ने ओ.एफ.देहू रोड़ को प्रज्वलन यंत्र की एक नई स्प्ररेखा को एच.ई.एम.आर.एल. द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्तावित करने की सलाह दी। प्रस्तावित स्प्ररेखा के अनुसार, फैक्ट्री 835 खाली प्रज्वलन यंत्रों के बचाव एवं 158 अस्वीकृत प्रज्वलन यंत्रों का परिशोधन, करती जो पूर्व स्प्ररेखा के आधार पर निर्मित की गई थी।

ओ.एफ.बी. ने (जुलाई 2012) में कहा कि गुणवत्ता समस्याओं का सामना स्प्ररेखा में कमी के कारण करना पड़ा और यह कि, नए उत्पाद की स्थापना प्रक्रिया में, उत्पाद का अंतिम उपयोग के दौरान हुए निष्पादन के आधार पर उनकी स्प्ररेखा में संशोधन होना अंतर्निहित था।

स्पष्टतः मई 2007 में शुरू हुई उत्पादन प्रक्रिया पांच साल बीत जाने के पश्चात भी स्थिर नहीं हुई थी।

8.2.5 प्रेषिती द्वारा अस्वीकरण

सीमित भंडारण सुविधा के कारण ओ.एफ.चंदा ने सेना को 2007-08 में 306 आर.एच.ई. रॉकेट एवं 2008-09 में 101 पी.एफ.रॉकेट कुल ₹ 61.01 करोड़ की लागत पर रेड़ कार्ड इश्यु के आधार पर निकासी प्रमाण पाने की पूर्वक्षा में आपूर्ति किए। हालांकि दिसम्बर 2008 में

रॉकेट प्रक्षेपण यंत्र प्रणाली के गोलाबारी जांच के दौरान पोखरण फील्ड फाइरिंग रेंज (पी.एफ.एफ.आर.) में एक दुर्घटना घटी जिसमें रॉकेट प्रक्षेपण-यंत्र, पॉड्स तथा नौचालन प्रणाली को क्षति पहुँची।

डी.आर.डी.ओ. द्वारा संगठित विफलता विश्लेषण बोर्ड ने (अप्रैल 2009) निम्नलिखित को दुर्घटना का कारक बताया:

- नोदक में निम्न यांत्रिक गुणों के साथ दरारों, खालीपन तथा पंखुड़ी का क्षतिग्रस्त होना।
- अपर्याप्त निरीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन के कारण खराब गुणवत्ता वाले नोदक को सैन्य डिपो तक पहुँचने की स्वीकृति देना
- ओ.एफ. इटारसी में नोदक के उत्पादन एवं स्टेटिक जाँच तथा उनके कणों के भंडारण अवस्था के लिए अपर्याप्त आधार-तंत्र और
- नोदक में अविश्वसनीय तथा कच्चे-माल की गुणवत्ता में भिन्नता का प्रयोग।

एफ. ए.बी. ने सभी 407 रॉकेट इकाईयों को उपयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किया तथा दोनो प्रकार के राकेटों के लिए नोदको में बदलाव एवं आर.एच.ई.राकेट में सम्पूर्ण नोदन इकाई को प्रतिस्थापित करने का सुझाव दिया। सितम्बर 2011 तक आर.एच.ई.रॉकेट के घटक सुधार-कार्य के अंतर्गत थे। 84 पी.एफ.राकेट का दूसरा लॉट जो सेना को 2009-10 के दौरान रेड-कार्ड²¹ पर वितरित किया गया था, वह नुकसान देय साबित हुआ क्योंकि दिसम्बर 2009 में गतिक जांच परीक्षण के दौरान एक रॉकेट ने 5.5 किलोमीटर की दूरी कम तय की। अतः पी.एफ.राकेट के आगे के उत्पादन को 2009-10 में स्थागित कर दिया गया। सेना ने आयुध फैक्ट्री चन्दा को 342 रॉकेटों (258 आर.एच.ई. एवं 84 पी.एफ.) वापिस कर दिए। इनमें से 65 पी.एफ. रॉकेटों को आवश्यक सुधार कर पुनः सेना को निर्गमित कर दिए गए।

ओ.एफ.बी. ने कहा कि इन रॉकेटों की खेपों को पी.एफ.एफ.आर. में सन्तोषजनक परीक्षण एवं ए.आर.डी.ई. द्वारा स्पष्ट निरीक्षण पत्रक जारी करने के उपरान्त सेना को दिया गया।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जवाब देखना चाहिए कि एफ.ए.बी.ने इस दुर्घटना के लिए प्रणोदन तन्त्र, अपर्याप्त निरीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन को कारण बताया। ओ.एफ. चन्दा स्पष्टतया अपने सहयोगी -फैक्ट्रियों से प्राप्त मदों के उचित निरीक्षण में विफल रही, जोकि रॉकेटों के संयोजन के पूर्व होना था। इसके साथ ही, ओ.एफ. इटारसी जिसने प्रणोदक आपूरित किए, प्रणोदक के निर्माण में निर्दिष्ट शुद्धता के एम.ए.पी.ओ.(मापों) रसायन के प्रयोग में चूक की। यद्यपि एच.ई.एम.आर.एल. ने स्पष्ट रूप से एम.ए.पी.ओ. विनिर्देशन में 92 प्रतिशत (न्यूनतम) ईमाईन की मात्रा निश्चित की थी, आयुध फैक्ट्री इटारसी ने न्यूनतम 92 प्रतिशत ईमाईन की मात्रा के बिना रसायन की अधिप्राप्ति की और इसे वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के प्रणोदक उत्पादन में प्रयोग किया था।

ओ.एफ.बी. ने कहा है कि प्रत्येक मिश्रित नमूनों को विनिर्दिष्ट जस्तुतों के अनुसार परीक्षण उपरांत एवं विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति एवं यान्त्रिक गुणों की स्वीकृति कर वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में सभी खेपों को निर्गमित किया था। ओ एफ बी ने यह निश्चितपूर्वक कहा कि विनिर्माण प्रक्रिया में सामग्री के प्रयोग में किसी भी चरण में विचलन

²¹ प्रूफ टेस्टिंग के पूर्वाभास में निर्गम रेड कार्ड का बनाना

नहीं किया था और डी.जी.क्यू.ए. के प्रतिनिधि प्रणोदक उत्पादन के दौरान आयुध फैक्ट्री इटारसी के साथ जुड़े हुए थे। साथ ही, एच.ई.एम.आर.एल.के द्वारा परीक्षण स्वीकृत करने के उपरान्त प्रणोदकों को निर्गमित किया था। यद्यपि केवल जनवरी 2009 के पश्चात मापो में न्यूनतम 92 प्रतिशत ईमाईन की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्यवाही की थी। ओ एफ बी द्वारा यह स्वीकार करना, इस बात की पुष्टि करता है कि ओ एफ इटारसी पूर्व समय में मापों में न्यूनतम 92 प्रतिशत इमाईन की मात्रा रखने में विफल रही, जिसके कारण प्रणोदक का निम्न यांत्रिक गुण रहा और पी एफ एफ आर में दुर्घटना घटी।

8.2. 6 रॉकेटों की अस्वीकृति के कारण हानि

आयुध फैक्ट्री चन्दा के निर्धारण अनुसार बेकार रॉकेटों के अवयवों की पुनः प्राप्ति से संभवतः ₹ 16.50 करोड़ की बचत होने के विपरीत रॉकेटों के उत्पादन में ₹ 44.51 करोड़ की कुल हानि हुई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008-09 में ₹ 4.25 करोड़ मूल्य के 120 प्रणोदकों के सेट को आयुध फैक्ट्री इटारसी द्वारा विशिष्ट गुणवत्ता के रसायनों के साथ प्रणोदकों का विनिर्माण करने में विफल रहने के कारण अस्वीकृत किया गया।

8.2. 7 प्रचालन संबंधी प्रभाव

मई 2012 में रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय ने कहा कि आपूर्ति इच्छित दर से रॉकेटों की सुपर्दगी में विलम्ब से सैनिकों का प्रशिक्षण प्रभावित हुआ एवं युद्ध अपशिष्ट रिजर्व (डब्ल्यू.डब्ल्यू.आर.) का भी रखरखाव नहीं कर सके। फरवरी 2010 में इससे पहले भी महानिदेशक तोपखाना ने व्यक्त किया कि बार-बार पिनाका रॉकेटों के उत्पादन में अवरोध एवं विफलता के कारण अधिष्ठापन योजना के अनुसार सेना की सांग्रामिकता में विलम्ब हुआ। महानिदेशक तोपखाना ने सचिव, रक्षा उत्पादन से अनुरोध किया कि दुर्घटना के पश्चात तैयार नई प्रधान गुणवत्ता आश्वासन योजना के अनुसार सभी जांचें, परीक्षण एवं प्रक्रिया उच्च गुणवत्ता उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए यथार्थ रूप से लागू करें। महानिदेशक आयुध सेवाएं ने फरवरी 2011 में ओ.एफ.बी. से अनुरोध किया कि गोलाबारूद डिपो में केवल परीक्षण में सफल हुई पिनाका रॉकेटों का प्रेषण करें।

ओ.एफ.बी ने जुलाई 2012 में कहा कि पिनाका पूर्णतया एक नया गोलाबारूद है जिसमें विभिन्न प्रकार के स्टेट-आफ-द-आर्ट प्रौद्योगिकी जैसे मिश्रित विनिर्माण, प्रवाहित बनावट, परिशुद्ध यांत्रिकी इत्यादि शामिल है जिससे आयुध फैक्ट्रियाँ परिचित नहीं थी। ओ.एफ.बी.ने बताया कि ए.आर.डी.ई. दो बार परिरूप को बदला और परिरूप के वैधीकरण पर काफी विचारणीय समय बीत गया। आगे यह भी कहा कि अक्सर प्रमुख परिरूप बदलाव डी.आर.डी.ओ. विकसित परिरूप में होते हैं परिणामस्वरूप परिरूप परिपक्वता एवं वृहद उत्पादन का सर्गभता समय ज्यादा होता है। वर्ष 2008-10 के दौरान ए.आर.डी.ई./ एच.ई.एम.आर.एल. द्वारा प्रणोदक तन्त्र में बहुत से परिरूप बदलाव हुए थे जिससे परियोजना के विलम्ब होने पर ओ.एफ.बी.का कोई नियंत्रण नहीं रहा।

क्योंकि ओ एफ बी ने यह परियोजना विनिर्देशक एवं प्रौद्योगिकी के पूर्णतया स्वांगीकरण/स्थानान्तरण के उपरान्त ही ली थी। इस बात से संज्ञान कि ओ.एफ.बी.ने पूर्णतया एक नई परियोजना ली है, आयुध फैक्ट्रियों द्वारा विनिर्देशकों का यथार्थ रूप से पालन करने में भरपूर सतर्कता अनिवार्य थी। न्यूनतम इमाईन की मात्रा सुनिश्चित किए बिना मापो (एम.ए.सी.ओ.) को स्वीकार करना स्पष्ट रूप से एक परिहार्य चूक थी जिसके कारण दुर्घटना

एवं हानि हुई। ओ.एफ.बी. इसके लिए पूर्णतया जिम्मेदार थी, जबकि डी.आर.डी.ओ. द्वारा परिष्कृत में बदलाव विलम्ब का कारण बने।

8.2.8 निष्कर्ष

सेना के आपूर्ति मांगपत्र के विपरीत 2007-12 के दौरान ओ.एफ.चंदा ने 4752 रॉकेटों के बदले मार्च 2011 तक केवल 1561 रॉकेटों की आपूर्ति की थी और वह भी बिना जांच निकासी किए। गोलाबारी जाँच के दौरान दिसम्बर 2008 में एक दुर्घटना घटी। दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण करने के पश्चात 407 रॉकेटों को प्रणोदक सम्बन्धी गुणवत्ता समस्याओं के कारण अनुपयोगी घोषित किया गया एवं ₹ 44.51 करोड़ के मूल्य वाले रॉकेटों की तथा ₹ 4.25 करोड़ के मूल्य वाले प्रणोदक की निवल हानि हुई। लगातार हो रही असफलताएं एवं पिनाका रॉकेट के उत्पादन को एक निश्चित अवधि तक रोके जाने के कारण अधिष्ठापन योजना के अनुसार होने वाले सैन्य इकाइयों के प्रचालन में पूर्ण रूप से देरी हुई। इच्छित दरों पर होने वाली रॉकेटों की आपूर्ति में हुई देरी ने भी सैन्य टुकड़ी के प्रशिक्षण को प्रभावित किया तथा युद्ध अपशिष्ट रिजर्व को भी नहीं बनाए रखा जा सका।

तीन फैक्ट्रियों को ₹ 89.24 करोड़ की लागत वाले मुख्य घटकों / समूहों को अप्रैल 2008 से जून 2011 के दौरान, सुविधाओं के निर्माण में हुए विलम्ब के कारण, व्यवसाय से स्रोत करना पड़ा।

व्याकुल कर देने वाली बात यह है कि एक परियोजना जिसका सूत्रपात द्वाइं दशक पहले किया जा चुका था, वह अभी तक स्मरेखा दोषों से बोझिल थी जिसके कारण सेना के लिए रॉकेट उत्पादन तथा आपूर्ति में अवरोध उत्पन्न हुए।

मंत्रालय/ओ.एफ.बी. अत्यावश्यक रूप से, चालू पिनाका परियोजना के शिथिल विकास का पुनरावलोकन करे एवं परियोजना की शीघ्र समाप्ति के लिए सक्रिय कार्रवाई करे।

मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2011 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर जुलाई 2012 तक प्रतीक्षित था।

8.3 वाहन फैक्टरी जबलपुर में नई पीढ़ी के वाहनों का उत्पादन

वाहन फैक्टरी जबलपुर जिसने मै0 अशोक लेलैंड लि0 (स्टेलियन्) और मै0 टाटा मोटर्स लि0 (एलपीटीए) से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के आधार पर दो नई पीढ़ी के वाहनों के विनिर्माण का दायित्व संभालते हुए (संयोजनो/पुर्जो का फैक्टरी में निर्माण के नियोजित लक्ष्य) 59.04 प्रतिशत (स्टेलियन्) एवं 51.58 प्रतिशत (एलपीटीए) का मात्र 17.46 प्रतिशत (स्टेलियन्) एवं 16.63 प्रतिशत (एलपीटीए) ही अर्जित कर सकी । संयंत्र एवं मशीनों के समग्र अल्प-प्रयोग के परिणाम स्वरूप 2008-11 के बीच सकल ₹ 498.86 करोड़ के पुर्जो एवं संयोजनों की व्यापार से खरीद हुई ।

8.3.1 प्रस्तावना

वाहन फैक्टरी जबलपुर (वीएफजे) ने 1997-98 से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आधार (टीओटी) पर मै0 अशोक लेलैंड लि0 और मै0 टाटा मोटर्स लि0 (पूर्व में टैलको) से दो नई पीढ़ी के (स्टेलियन् तथा एलपीटीए²²) वाहनों के विनिर्माण का दायित्व संभाला

8.3. 1.1 भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 2001 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 7 के पैराग्राफ 48 में टीओटी के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति तथा विनिर्माण में हानि एवं इन वाहनों के वितरण/निर्गमन के बारे उल्लेख किया गया था । मार्च 2002 की 'एक्शन टेकन नोट' (एटीएन) में मंत्रालय ने बताया कि एलपीटीए और स्टेलियन् वाहनों के उत्पादन का निर्णय फैक्टरी की स्थापित क्षमताओं और उपलब्ध कार्य-शक्ति के लाभकारी उपयोग की दृष्टि से न्यायसंगत था तथा यह भी बताया (मई 2003) कि वीएफजे 2000-01 में सम-लागत-कीमत बिन्दु अर्जित कर चुकी थी।

8.3. 1.2 वीएफजे में 2008-11 के बीच उपरोक्त वाहनों के उत्पादन पर हमारी लेखापरीक्षा में टीओटी के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण विलंब, पुर्जो/संयोजनो के फैक्टरी में विनिर्माण में अपर्याप्त प्रगति, टीओटी होने के बावजूद भी विभिन्न वस्तुओं हेतु व्यापार पर अत्यधिक निर्भरता, सेना को वाहन प्रेषण करने में हुई हानि के साथ-साथ उच्च उत्पादन लागत अधोचर्चित पैराग्राफों के अनुरूप, प्रकट हुए ।

8.3. 2. वाहनो के फैक्टरी उत्पादन हेतु टीओटी अनुबंध

आयुध फैक्टरी बोर्ड (ओ.एफ.बी.) द्वारा अगस्त/सितम्बर 1998 में मैसर्स अशोक लेलैंड लि0 (एएल) और मै0 टाटा मोटर्स लि0 (टीएमएल) के साथ क्रमशः स्टेलियन् एवं एलपीटीए वाहनों के उत्पादन हेतु संपादित टीओटी अनुबंध अगस्त/सितम्बर 2005 तक वैध थे । आगामी 10 से 15 वर्षों के लिए सेना की वाहन आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अक्टूबर/दिसम्बर 2006 में अनुबंधों की वैधता का अगस्त/सितम्बर 2012 तक विस्तार कर दिया गया । 01 अक्टूबर 2010 से प्रभावी तथा सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय के मार्च 2010 में जारी आदेशों के अनुसार, वीएफजे ने बी.एस.-III²³ उत्सर्जन मानकों के अनुरूप वाहनों का उत्पादन करने का बदलाव किया ।

²² सभी मैदानों के लिए लारी यात्री परिवहन

²³ भारत स्टेज -III वाहनो के लिए उत्सर्जन मापदण्ड

8.3. 3. पुर्जों/संयोजनों के अन्तः फ़ैक्टरी विनिर्माण की प्रगति

टीओटी अनुबंधों में सितम्बर 2001 तक स्टेलियन हेतु पुर्जों (लागत की दृष्टि से 59.04 प्रतिशत) सहित 12 संयोजनों तथा एल.पी.टी.ए. हेतु पुर्जों (लागत की दृष्टि से 51.58 प्रतिशत) सहित 10 संयोजनों के अन्तः फ़ैक्टरी विनिर्माण की स्थापना सहयोगियों द्वारा आपूरित सीकेडी/एसकेडी²⁴ मदों के प्रगामी विलोपन के साथ चरणबद्ध की जानी थी ।

ओएफबी ने केबिन के अलावा सभी नियोजित मदों के अन्तः फ़ैक्टरी विनिर्माण स्थापित किए जाने का दावा किया (मई 2012) । हालांकि, हमने पाया कि फ़ैक्टरी ने 2008-09 से 2010-11 के बीच सहयोगियों से सीकेडी तथा एसकेडी प्राप्त करने के आधार पर दोनो ही वाहनों के चार संयोजनों अर्थात् गियर बॉक्स, सह-गियर बॉक्स, अगले एवं पिछले ऐक्सलों का विनिर्माण किया यद्यपि इनको फ़ैक्टरी में उत्पादित किया जाना नियोजित किया गया था ।

हमने यह भी पाया कि उत्पादन लागत की दृष्टि से, फ़ैक्टरी 59.04 और 51.58 प्रतिशत के नियोजित लक्ष्य के प्रति नियोजित अवधि के समापन से साढे नौ वर्षों के उपरांत भी संयोजनों का मात्र क्रमशः 17.46 प्रतिशत (स्टेलियन) एवं 16.63 प्रतिशत (एलपीटीए) ही फ़ैक्टरी में वास्तविक विनिर्माण कर सकी ।

आगे, 2011-12 के बीच, मदों की संख्या की दृष्टि से, फ़ैक्टरी ने उपरोक्त प्रमुख संयोजनों हेतु वांछित मदों (संख्या में) की मात्र 10 से 18 प्रतिशत (स्टेलियन के लिए) एवं 3 से 11 प्रतिशत (एलपीटीए के लिए) कारखाने में विनिर्माण किया जिसका विस्तृत विवरण निम्नांकित है:

स्टेलियन/एलपीटीए वाहनो हेतु मदों के कार्यशाला में उत्पादन की स्थिति

संयोजनों का नाम	स्टेलियन्			एलपीटीए		
	निहित मदों की संख्या	सहयोगियों एवं व्यापार से अधिप्राप्त मदें	कार्यशाला में उत्पादित मदें (प्रतिशत)	निहित मदों की संख्या	सहयोगियों एवं व्यापार से अधिप्राप्त मदें	कार्यशाला में उत्पादित मदें (प्रतिशत)
गियर बॉक्स	198	179	19 (9.60)	145	132	13 (8.97)
सह-गियर बॉक्स	128	111	17 (13.28)	106	94	12 (11.32)
अगला ऐक्सेल	85	70	15 (17.65)	267	256	11 (4.12)
पिछला ऐक्सेल	47	42	5 (10.64)	234	227	7 (2.99)

ओएफबी ने बताया (मई 2012) कि विनिर्माण एवं क्रय योजना अनुसार कार्यशाला विनिर्माण मानव-शक्ति की उपलब्धता एवं मदों की मांग के आधार पर आकलन किया गया था और

²⁴ कम्पलीट नॉकड डाउन/सेमी-नॉकड डाउन

सेना से 2008-09 तथा 2009-10 हेतु मांगों की विलंबित प्राप्ति के कारण वीएफजे को ये मर्दे व्यापार से अधिप्राप्त करनी पड़ी थी। ओएफबी ने और बताया कि वीएफजे ने 2007-11 के बीच सहयोगियों से बीएस-II मानक अनुपालन वाहनों हेतु सीकेडी/एसकेडी के रूप में सम्पूर्ण संयोजन प्राप्त नहीं किये थे। हालांकि, ऐसी कमियां बीएस-III मानक अनुपालन वाहनों के उत्पादन हेतु अपरिहार्य थी क्योंकि परिशोधन इन वाहन मॉडलों का संपूर्ण रूपांतरण था।

हालांकि, अधोलिखित तथ्यों की उत्तर ने उपेक्षा की:-

- 2008-09 एवं 2009-10 हेतु उत्पादन लक्ष्य अक्टूबर 2007 तथा अक्टूबर 2008 में सेना द्वारा दिये गये थे, सेना ने साथ ही ओ.एफ.बी.पर अप्रैल 2008 में 98 प्रतिशत लक्ष्य वर्ष 2008-09 के लिए और जनवरी 2009 में 74 प्रतिशत लक्ष्य 2009-10 के लिए एक मांग पत्र जारी किया।
- वीएफजे गियर बॉक्स, सह-गियर बॉक्स, अगला ऐक्सेल एवं पिछला ऐक्सेल की अधिप्राप्ति करती रही थी क्योंकि कार्यशाला में इन संयोजनों को उत्पादित करने के लिए वांछित विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना करने तथा उच्चतर कीमत योग अर्जन हेतु विश्वसनीय नियोजन एवं कार्यान्वयन तैयार किए बिना 2010-11 तक बीएस-II हेतु भी सहयोगियों से सीकेडी/एसकेडी क्रय करना पड़ा।

नियोजित अवधि से नौ वर्षों से भी अधिक कालातीत होने के उपरांत टीओटी के आधार पर मांगी गई मर्दों के विनिर्माण में फ़ैक्टरी की विफलता के कारण सहयोगियों तथा व्यापारिक फर्मों से बीएस-II प्रारूप वाहनों हेतु ₹ 498.86 करोड़ (अनुमानित) मूल्य के प्रमुख संयोजन, सह-संयोजन तथा पुर्जों की 2008-11 के बीच अधिप्राप्ति की जाती रही।

8.3. 3.1 बीएस-II प्रारूप वाहनों हेतु पुर्जों की परिहार्य खरीद

अक्टूबर 2010 में बीएस-III मानक अनुपालन वाहन का उत्पादन आरम्भ किए जाने के फलस्वरूप, बीएस-II प्रारूप हेतु प्रयुक्त कुछ मर्दे निरर्थक हो गईं। इसके बावजूद मई 2010 से जनवरी 2011 के बीच वीएफजे ने बीएस-II प्रारूप वाहनों हेतु विभिन्न मर्दों के लिए व्यापार से ₹ 9.55 करोड़ मूल्य के आदेश जारी किए, जिनमें ₹ 3.02 करोड़ मूल्य की मर्दे दिसम्बर 2011 तक अप्रयुक्त पड़ी रही।

ओएफबी ने बताया (मई 2012) कि मर्दे अत्यधिक कमी/बाधाओं के कारण अत्यावश्यक आधार पर अधिप्राप्ति की गई थी तथा यह कि नियमित आपूर्ति स्थल से मर्दों की विलंबित प्राप्ति उनको अनावश्यक बना सकती थी। ओएफबी ने और बताया कि इन मर्दों को वारंटी नवीनीकरण तथा अनुस्क्षण हेतु फालतू पुर्जों के उपयोग की संभावना तलाशी जाएगी। उत्तर इंगित करता है कि नवीन प्रारूप के प्रारम्भ से पूर्णतया अवगत होने के बावजूद, वीएफजे ने वर्तमान सामग्री की निरर्थकता के साथ-साथ शिकायती वाहन बीएस-II से संबंधित अधिप्राप्ति प्रक्रिया का उपयुक्त रूप से आकलन नहीं किया।

8.3. 4 संयंत्र एवं मशीनो का अल्प-प्रयोग

जनवरी 2000 तथा मार्च 2011 के मध्य, वीएफजे नई पीढ़ी के वाहनों अर्थात् स्टेलिअन एवं एलपीटीए के विनिर्माण हेतु ₹ 97.51 करोड़ के संयंत्र एवं मशीनों की 196 मर्दों की खरीद कर चुका था। मार्च 2000 तथा जुलाई 2008 के मध्य स्थापित 59 मशीनों के मशीन-घंटों के

उत्पादन की हमारी जाँच ने दिखाया कि 2008-11 के बीच 33 मशीनें 35 से 70 प्रतिशत तक अल्प-प्रयुक्त थीं ।

ओएफबी ने 2008-09 तथा 2009-10 के बीच मशीनों के अल्प-प्रयोग के लिए कम उत्पादन भार एवं मानव-शक्ति में कमी को उत्तरदायी ठहराया (मई 2012)। इसने यह भी बताया कि अक्टूबर 2010 से प्रभावी बीएस-II से बीएस-III²⁵ मानक अनुपालन वाहनों के प्रारम्भ के परिणामस्वरूप, वीएफजे सहयोगियों से प्रमुख सहायक पुर्जों/उप-सहायक पुर्जों के सीकेडी/एसकेडी की वृहत अधिप्राप्ति कर चुकी थी जो वाहनों के फ़ैक्टरी में संकलन की उपयोगिता के लाभ के निरर्थक होने का कारण बनी ।

ओएफबी का तर्क, कि वीएफजे बदलाव से पूर्व ही सहयोगियों से प्रमुख सहायक पुर्जों जैसे कि गियर बॉक्स, सह-गियर बॉक्स, फ्रंट एक्सेल, रियर एक्सेल आदि अधिप्राप्त सीकेडी प्रयोग करते हुए एलपीटीए तथा स्टेलिअन वाहनों का विनिर्माण कर चुकी थी, का सामना नहीं करती है । इन मदों का फ़ैक्टरी में विनिर्माण के बावजूद प्रमुख सह-पुर्जों/उप-सह-पुर्जों/पुर्जों की व्यापार-अधिप्राप्ति पर वीएफजे की निरन्तर निर्भरता से फ़ैक्टरी की क्षमता का उपयोग वास्तव में बुरी तरह प्रभावित हुआ और बीएस-III मानक अनुपालन वाहनों में बदलाव से परिस्थिति बदतर हो गई ।

8.3. 4.1 हाईड्रोलिक प्रेस का अल्प-उपयोग

वीएफजे द्वारा इन वाहनों के कैबिन के फ़ैक्टरी में विनिर्माण हेतु मई 2003 में ₹ 3.69 करोड़ की लागत पर स्थापित जलशक्ति-चलित प्रेस के अनुपयोग पर 2007 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (परफार्मेंस रिपोर्ट) सं0 19 के 3.4.5 पैराग्राफ में टिप्पणी की गई थी । मंत्रालय ने अपने दिसम्बर 2009 के एटीएन में बताया कि प्रेस स्टेलियन और एलपीटीए के विभिन्न अंगों के विनिर्माण हेतु इसकी पूर्ण क्षमता तक लाभकारी रूप से प्रयुक्त की जा रही थी । तथापि मंत्रालय का दावा तकनीकी रूप से अशुद्ध था क्योंकि प्रेस 2008-11 के बीच वाहनों के बम्पर एवं अन्य अंग बनाने के लिए 900 में से केवल 457 कार्य-दिवसों के लिए प्रयुक्त हुई थी ।

ओएफबी ने बताया (मई 2012) कि कैबिन का फ़ैक्टरी में विनिर्माण न चालू करने का कारण, पैमाने की मितव्ययता उच्च पूँजीगत लागत, अनिश्चित उत्पाद-जीवनकाल, अल्प आवश्यकता थी तथा यह भी कि प्रेस मांगकर्ताओं द्वारा प्रदत्त आवश्यकता के अनुरूप 2008-09 से 2010-11 के बीच प्रयुक्त हुई थी ।

अन्य अंगों के विनिर्माण हेतु अपनी पूर्ण क्षमता तक प्रेस के लाभकारी प्रयोग के सुनिश्चियन हेतु जैसा कि दिसम्बर 2009 के अपने एटीएन में मंत्रालय का दावा था, एटीएन पर ओएफबी का यह उत्तर मूक है ।

8.3. 4.2 स्वचालित संयोजन पट्टिका की क्षमता का अल्प-उपयोग

एलपीटीए संयोजन पट्टिका के आधुनिकीकरण हेतु जुलाई 2005 में वीएफजे ने मानव-शक्ति लागत के रूप में ₹ 58.50 लाख की प्रस्तावित वार्षिक बचतों के साथ ₹ 8.86 करोड़ लागत की स्वचालित एलपीटीए संयोजन पट्टिका की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु मैसर्स टीएएल मैनुफैक्चरिंग सॉल्युशनर्स, पुणे को आज्ञापति प्रदान किया । अधोलिखित विचार से, वीएफजे

²⁵ भारत स्टेज II एवं III वाहनों के लिए उत्सर्जक मानक

मूल रूप से नियोजित 2500 से 3000 वाहनों के उत्पादन की क्षमता के स्थान पर उच्चतर क्षमता (15000 वाहन) का संयंत्र स्वीकृत कर चुकी थी:-

- न्यूनतम 15000 वाहन प्रतिवर्ष हेतु संयोजन पट्टिका का रूपांकन मितव्ययी था;
- 8000 से 10000 एलपीटीए एवं स्टेलियन् वाहनो के वार्षिक उत्पादन आवश्यकता के अतिरिक्त 6 x 6 वाहनों की भावी आवश्यकता; तथा
- युद्ध आरक्षित आकस्मिकता एवं भावी वृद्धि और विकास की संभावना।

हमने पाया कि मार्च 2008 में स्थापित संयोजन पट्टिका का, अधोलिखित कारणों से 2008-11 के बीच केवल 23 और 41 प्रतिशत उपयोग हुआ:-

- एलपीटीए, स्टेलियन्, वाटर बॉजर, सुरंग रक्षित वाहनों इत्यादि का 2008-11 के बीच 15000 वाहनों हेतु क्षमता के प्रति मात्र 3506 और 6104 के मध्य उत्पादत;
- संयोजन पट्टिका का एलपीटीए और स्टेलियन् दोनो के विनिर्माण हेतु एक-साथ प्रयोग नहीं किया जा सका; तथा
- सेना से संभावित 6 x 6 वाहनों का फर्म से लक्षित आदेश/उत्पादन की अप्राप्ति।

इसके अतिरिक्त, मानव-शक्ति लागत के नाम पर ₹ 58.50 लाख अनुमानित वार्षिक बचतों की पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि फ़ैक्टरी ने दिसम्बर 2011 तक श्रम अनुमानों को संशोधित नहीं किया था ।

ओएफबी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2012) कि उत्पादन, सेना के आदेशों के अनुस्यू किया गया था और सेवानिवृति के कारण निरंतर कम होती मानव-शक्ति के दृष्टिगत कोई भी मानव-शक्ति फालतू नहीं थी । इसने यह भी बताया कि श्रम अनुमानों के कम होते संशोधन संभव न थे क्योंकि बीएस-III मानक अनुपालन वाहनों में परिष्कृत तत्व थे जिनके विनिर्माण में अधिक कार्रवाईयां/अंग निहित होते ।

उपरोक्त तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ओएफबी ने बीएस-III वाहनों के प्रथम प्रवेश अर्थात अक्टूबर 2010 तक श्रम अनुमानों में संशोधन के प्रयास नहीं किए थे। आगे, बीएस-III मानक अनुपालन वाहनों के लिए भी श्रम अनुमानों में कम होते संशोधन करने की आवश्यकता थी क्योंकि एक स्वचालित संयोजन पट्टिका एलपीटीए वाहनों के विभिन्न अंगों तथा संयोजनों को संयोजित करने हेतु प्रयुक्त की जा रही थी

8.3. 5. सेना को प्रेषित वाहनो का अधिक आलेखन

अधो-इंगित सूची 2008-09 से 2010-11 के बीच लक्ष्य के प्रति सेना को प्रेषित वाहनों के विवरण प्रदान करती है:-

सेना को निर्गमित वाहन एवं उनके लक्ष्य की स्थिति

वर्ष	स्टेलियन् (संख्या में)		एलपीटीए (संख्या में)	
	लक्ष्य	प्रेषण	लक्ष्य	प्रेषण
2008-09	2476	2475	1184	1184
2009-10	790	790	2207	2207
2010-11	3555	2843	3079	2860

स्पष्टतया, 2010-11 में, मुख्यतः अक्टूबर 2010 से बीएस-II से बीएस-III में मानक उत्सर्जन के बदलाव के कारण, दोनो प्रकार के वाहनों का प्रेषण लक्ष्य से कम रह गया। हमने उत्पादन प्रतिवेदन से पाया (31 मार्च 2011) कि 2843 स्टेलियन् एवं 2860 एलपीटीए के आलेखित प्रेषण के प्रति मात्र 1894 स्टेलियन् एवं 1575 एलपीटीए वाहन अन्तिम पर्यवेक्षण हेतु वीएफजे के संयंत्र-4 में प्राप्त हुए थे। इनमें से वीएफजे मार्च 2011 तक सेना को मात्र 1281 स्टेलियन् एवं 961 एलपीटीए वाहनों को वास्तव में प्रेषित कर चुका था। शेष ₹ 567.10 करोड़ मूल्य के 1562 स्टेलियन् एवं 1899 एलपीटीए वाहनो का प्रेषण आगामी वर्ष तक टल गया था जो इंगित करता है कि 2010-11 के बीच की उपलब्धि मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत संख्या से कम थी।

ओएफबी ने वाहनों के प्रेषण की कमी /अधि-आलेखन के लिए निम्न बिंदु बताए (मई 2012):-

- (i) बीएस-III उत्सर्जन मानकों के शामिल किए जाने के उपरांत लक्ष्य पूरा करने के लिए उपलब्ध अल्पावधि ;
- (ii) सहयोगियों से क्रय किए गए सीकेडी/एसकेडी के आधार पर पूरे किए गए वाहनों के उत्पादन ; तथा
- (iii) परिवहन ठेकेदारों द्वारा उपयुक्त चालकों की कमी के चलते विलंबित प्रेषण।

उत्तर स्पष्ट नहीं करता कि क्यों वीएफजे बीएस-III मानक अनुपालन वाहनों के उत्पादन को पूरा करने में उपयुक्त रूप से शीघ्रता नहीं कर सका जबकि सरकारी आदेश मार्च 2010 में ही जारी किए जा चुके थे और न ही सुनिश्चित कर सका कि वाहनों का वास्तविक प्रेषण आलेखित प्रेषण से पिछड़ न जाए।

8.3.6 सेना को वाहनों के प्रेषण में हानि

सेना को स्टेलियन के प्रेषण पर 2008-09 में ₹ 24.97 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी यद्यपि 2009-10 के बीच इसने ₹ 5.13 करोड़ का लाभार्जन किया। 2008-09 एवं 2009-10 के बीच एलपीटीए के प्रेषण में विहित हानि ₹ 21.08 करोड़ थी। 2008-09 में स्टेलियन् के प्रेषण में हानि के मुख्य कारण गत वर्ष की तुलना में सामग्री एवं श्रम लागतों में क्रमशः 20 तथा 48 प्रतिशत वृद्धि के परिणामतः उत्पादन लागत में 26 प्रतिशत वृद्धि का होना था।

2010-11 के बीच, वीएफजे ने दोनो वाहनों के प्रेषण में ₹ 93.66 करोड़ का समग्र लाभ आलेखित किया। हालांकि, हमारे विश्लेषण ने दिखाया कि लाभ अवास्तविक थे क्योंकि वाहनों की लागत, श्रम व्यय आलेखन आगामी वर्ष में किए जाने के कारण, अल्प-आलेखित थी।

8.3.7 निष्कर्ष

स्टेलियन वाहनों की लागत का 59.04 प्रतिशत एवं एलपीटीए वाहनों की लागत का 51.58 प्रतिशत तक संयोजनो/पुर्जो का नियोजित फैक्टरी निर्माण के प्रति, उपलब्धि 17.46 प्रतिशत (स्टेलियन) एवं 16.63 प्रतिशत (एलपीटीए) थी जो कि एकदम कम थी। परिणामस्वरूप, इस उद्देश्य हेतु अधिप्राप्त प्रमुख संयंत्र एवं मशीनें अत्यधिक अल्प-प्रयुक्त रहीं। वीएफजे ने उत्पादन पट्टिका में आवश्यक परिवर्तनों में उपयुक्त रूप से तीव्रता नहीं की हालांकि बीएस-II से बीएस-III में बदलाव अवश्यमभावी थे। इसके बजाए, वीएफजे ने बीएस-III वाहनों हेतु सीकेडी/एसकेडी रूप में संयोजनों हेतु सहयोगियों की ओर प्रत्यावर्तित हो गई।

ओएफबी को प्रयोक्ताओं को प्रेषणों के अधि-आलेखन के प्रचलन की उपेक्षा करने की आवश्यकता है क्योंकि यह आयुध फैक्ट्रियों के वार्षिक लेखों को दूषित करता है।

मंत्रालय एवं ओएफबी को एक समयबद्ध ढंग में सभी आवश्यक संयोजनों एवं पुर्जो का फैक्टरी में विनिर्माण की सफलतापूर्वक स्थापना तथा पुर्जो/संयोजनों के लिए सहयोगियों एवं व्यापारिक फर्मों पर निर्भरता कम करने हेतु सुविचारित योजना बनाने की आवश्यकता है।

मामला जनवरी 2012 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर जुलाई 2012 तक प्रतीक्षित था।

मशीनरी की अधिप्राप्ति

8.4 एक कीमती मशीन का अप्रवर्तन

एक आयातित मशीन को निर्दिष्ट समय सीमा में निर्माण एवं प्रवर्तन किए जाने को शामिल करने में भारी वाहन फैक्ट्री आवडी (ए.वी.एफ) की विफलता जिसके परिणामस्वरूप उसका अप्रवर्तन, अनुमानित लाभ का असंग्रहण और ₹ 20.01 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

भारी वाहन फैक्ट्री आवडी (एच.वी.एफ) के पास मेन बैटल टैंक (एम.बी.टी) बुर्ज के मशीनीकरण के लिए एक स्कीएस मशीनिंग सेंटर था। एम.बी.टी के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास के उद्देश्यों का वर्तमान स्कीएस मशीनिंग सेंटर में मशीनीकरण बुर्ज की अपर्याप्तता को देखते हुए, एच.वी.एफ ने निराकृत मशीनों के प्रतिस्थापन के लिए बड़े आकार के लम्बत बुर्ज मशीन के खरीदने की आवश्यकता महसूस की। एच.वी.एफ ने यह भी परिकल्पित किया की बड़ी मशीनों के उपयोग द्वारा वार्षिक रूप से ₹ 2.96 करोड़ तक उत्पादन लागत कम हो जायेगी।

₹ 20.40 करोड़ मूल्य के एक सी.एन.सी डबल कॉलम वर्टिकल, टर्निंग, बोरिंग एण्ड मिलिंग फ्री ऑन बोर्ड (एफ.ओ.बी) मशीन की आपूर्ति, निर्माण एवं प्रवर्तन हेतु निविदाकार (एक विदेशी फर्म) के न्यूनतम तकनीकी रूप से स्वीकृत किए जाने वाले निविदा पर आदेश दिए जाने के लिए अध्यक्ष आयुध फैक्ट्री बोर्ड की अध्यक्षता में गठित निविदा क्रय समिति स्तर 1(टी.पी.सी.) की संस्तुति (मई 2006) को रक्षा मंत्रालय द्वारा (अगस्त 2006) में स्वीकृत किया गया था। फर्म को दिए गए आपूर्ति आदेश (एस.ओ.) (अक्टूबर 2006) के अनुसार, मशीन की सुपुर्दगी अप्रैल 2008 तक की जानी थी और एफ.ओ.बी. के 90 प्रतिशत मूल्य को लदान के प्रेषण के

बाद जल्दी ही जारी कर दिया जाना था, बचे हुए 10 प्रतिशत को मशीन के मिलान कार्य निष्पादन बैंक गारंटी के प्रस्तुतीकरण पर मशीन के सफल स्थापना के बाद जो वारंटी अवधि के दौरान, ही मान्य है, में जारी कर देना था।

टी.पीसी के द्वारा लिए गए निर्णय के विपरीत हमने पाया (सितम्बर 2010) कि एच.वी.एफ. ने मशीन के निर्माण एवं प्रवर्तन को पूरा करने की समय सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित किए बिना ही आपूर्ति आदेश दे दिया। आगे, मशीन की सुपुर्दगी जो अप्रैल 2008 तक निर्धारित की गई थी, फर्म ने वास्तविक रूप से मशीन की सुपुर्दगी नवम्बर 2008 में की। इस विलंब का उत्तरदायी एच.वी.एफ. को ठहराया गया क्योंकि उन्होंने फर्म को रेखाचित्र की पेशी देने में एवं मशीन पूर्व निरीक्षण का पालन करने में अतिरिक्त विलंब किया था जिसके कारण से ही फैक्ट्री के प्रतिनिधि को इटली में प्रतिनियुक्त के मंत्रालय की संस्वीकृति को हासिल करने में विलंब हुआ। एच.वी.एफ. ने नवम्बर 2008 में, फर्म के आपूर्ति आदेश के मूल्य के 90 प्रतिशत (₹ 17.71 करोड़) और सिविल कार्यों (₹ 2.30 करोड़) की ओर ₹ 20.01 करोड़ का भुगतान किया।

मशीन के सुपुर्दगी के साढ़े तीन साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी फर्म मशीन के प्रवर्तन को (जून 2012) करने में असफल रहा। हमारे परीक्षण ने यह उजागर किया है कि फर्म द्वारा अत्यावश्यक चीजों के विलंबित आपूर्ति, समय से एम.बी.टी. अर्जुन टर्सेट के स्थिर वस्तु की गैर प्राप्ति एवं फर्म के प्रतिनिधि द्वारा सिविल कार्यों को निष्पादित करने में त्रुटि के कारण प्रवर्तन में स्लिपेज हुई। इस प्रकार, प्रवर्तन के लिए निर्दिष्ट समय के अभाव में, मशीन की सुपुर्दगी जो नवम्बर 2008 में होनी थी, वह नवम्बर 2012 में पूर्ण होना अनुमानित की गई है, इसके बाद भी एच.वी.एफ. प्रवर्तन के विलंब के कारण हुए भुगतान के नुकसान का दावा करने में असमर्थ है, आपूर्ति आदेश में अगर साफ रूप से मशीन के प्रवर्तन की तिथि को दर्शाया होता तो इस स्थिति को टाला जा सकता था।

हमारी टिप्पणी के उत्तरस्वरूप, आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ.एफ.बी) ने दावा (जून 2012) किया कि फर्म द्वारा किसी भी मद की आपूर्ति न होने के कारण मशीन के निर्माण एवं प्रवर्तन में कोई विलम्ब नहीं हुआ एवं मशीन संघटक परीक्षण में था। प्रवर्तन के निर्धारण के लिए निर्दिष्ट समय शामिल करने में हुई असफलता को अकथित रूप से स्वीकार करते हुए ओ.एफ.बी ने भावी संविदाओं में निर्दिष्ट समय सीमा शामिल करने का आश्वासन दिया।

ओ.एफ.बी का यह तर्क कि “आपूर्तिकर्ता के कारण कोई विलंब नहीं हुआ” अमान्य है, क्योंकि फर्म द्वारा मशीन के अत्यावश्यक घटकों की आपूर्ति जून 2009 एवं मार्च 2011 के बीच में की गई थी, जोकि एच.वी.एफ. द्वारा मशीन की प्राप्ति के काफी बाद हुआ था। अर्जुन टर्सेट के लिए जो स्थिर वस्तुयें थी, उनकी भी आपूर्ति समय पर नहीं की गई थी। मशीन के प्रवर्तन के लिए फर्म को जो स्वाधीनता दी गई थी उसके कारण ₹ 20.01 करोड़ का व्यर्थ निवेश हुआ और प्रत्येक वर्ष उत्पादन लागत में, अनुमानित बचत के रूप में ₹ 2.96 करोड़ की हानि भी हुई।

इस मामले को अक्टूबर 2011 में रक्षा मंत्रालय को भेजा गया था जुलाई 2012 तक इसका उत्तर प्रतीक्षित था।

8.5 दोषपूर्ण उत्पादन के कारण गोला बारूद की अनुपयोगिता

₹ 6.04 करोड़ मूल्य के गोला बारूद जो कि आयुध फैक्ट्री खामरिया द्वारा उत्पादित किए गए थे तथा सेना को मार्च 2007-नवम्बर 2008 के दौरान प्रदान किए गए, वे अनुपयोगी घोषित किए गए क्योंकि सामान्य व्यवहार के दौरान वे सैन्य डिपो/ इकाई में दुर्घटना के कारक बने।

आयुध फैक्ट्रियाँ एवं महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन, संयुक्त तथा अलग-अलग रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि सेना को आयुध फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित गुणात्मक हथियार तथा गोला बारूद की प्राप्ति हो जिससे वह अपनी लड़ाकू सेना के युद्ध दक्षता तथा सामर्थ्य में वृद्धि कर सकें।

लेखा परीक्षा के दौरान हमने दुर्घटना के मामलों का अनुभवीक्षण किया जिसका कारण एक प्रकार का गोला- बारूद था जो आयुध फैक्ट्री खामरिया (ओ.एफ.के) द्वारा उत्पादित तथा वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन प्रतिष्ठान (एस.क्यू.ए.ई) द्वारा निरीक्षण के उपरांत सेना को वितरित किया गया। ओ.एफ.के ने 32 लॉट का उत्पादन किया था जिसमें 2.50 लाख गोला बारूद थे जिनका मूल्य ₹ 5.72 करोड़²⁶ था तथा मार्च 2007 और नवम्बर 2008 के बीच में इसकी आपूर्ति केन्द्रीय गोला बारूद डिपो पुलगाँव (सी.ए.डी) को की गई थी। जुलाई 2008 एवं फरवरी 2009 में सी.ए.डी में कारतूस बॉक्स के तीन लॉटों का गोला बारूद के पैकिंग पेटी के अंदर फट जाने के कारण दुर्घटनाएँ घटित हुईं। एक सैन्य इकाई में भी एक दुर्घटना घटी थी जहाँ सी.ए.डी. द्वारा गोला बारूद वितरित किया गया था। महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन द्वारा किए गए, तीन लॉटों के दोष अन्वेषण में तीन लेड पन्नी के शिथिल संयोजन को संभावित कारण दर्शाया था। परिणामस्वरूप, इन तीनों प्रभावित लॉटों को अनुपयोगी घोषित किया गया था।

ओ.एफ.के के अतिरिक्त महाप्रबंधक (ए.जी.एम) की अध्यक्षता में संयुक्त अन्वेषण कमेटी का गठन प्राइमर के समयपूर्व कार्यन्वयन का पता लगाने और इसके साथ, उन उपचारात्मक मानदंडों का सुझाव देने के लिए हुआ था जिसने ओ.एफ.के में दोषपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया को इसका उत्तरदायी बताया। इस संयुक्त कमेटी ने ओ.एफ.के में कार्यान्वयन के लिए 23 उपचारात्मक मानदंडों का सुझाव दिया। संयुक्त कमेटी के जाँच परिणाम/ खोज को ध्यान में रखते हुए नियंत्रणालय गुणवत्ता आश्वासन (गोला बारूद) किरकी (सी.क्यू.ए/ए) ने जनवरी 2011 में, बाकी 29 गोला बारूद लॉटों को भी अनुपयोगी घोषित कर दिया।

उपचारात्मक मानदंडों के कार्यान्वयन के बाद ओ.एफ.के ने (नवम्बर 2008-दिसम्बर 2009) में एक अन्य 31 लॉट गोला बारूद का उत्पादन तथा आपूर्ति सी.ए.डी को किया, जिसमें से एक लॉट (9240 राउंड जिनका मूल्य ₹ 0.32 करोड़ था,) फिर से गोला बारूद डिपो में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सी.क्यू.ए द्वारा प्रभावित लॉट के दोष अन्वेषण में नोदक में मरकरी फलमिनेट की मौजूदगी होने का पता चला जिसके कारण प्रवेशिका से मरकरी फलमिनेट के छलकने के कारण हुई दुर्घटना वही उत्पादन दोष का मामला थी जिसकी पहचान पहले हुई दुर्घटना में की गई थी।

²⁶ 18 लॉट जिसमें 1.15 लाख कवच भेदक दाहक (ए.पी.आई) समाविष्ट थी और जिनका मूल्य ₹ 2.58 करोड़ था तथा 14 लॉटों जिसमें 1.35 लाख कवच भेदक दाहक अनुरेखक (ए.पी.आई.टी) और जिनका मूल्य ₹ 3.14 करोड़ थी वह समाविष्ट थी।

आवर्ती दुर्घटनाओं तथा उनके कारक के विश्लेषण में यह इंगित हुआ कि ओ.एफ.के में प्रवेशिकाओं के दोषपूर्ण उत्पादन एवं फैक्ट्री के अपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के कारण ढीले प्रवेशिकाओं वाले गोला बारूद की आपूर्ति हुई। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 6.04 करोड़ की मूल्य वाले 33 लॉट गोला बारूद अनुपयोगी हो गए।

ओ.एफ.बी ने (जून 2012) कहा कि:

- (i) उत्पादन दोष जैसे, ढीले लेड टिन पन्नी, दुर्घटनाओं का कारक नहीं थे, क्योंकि उल्लेखित लॉट सभी विनिर्देशित परीक्षाओं यथा विभागीय जाँच, दृश्य परीक्षण, स्थैतिक तथा गतिक परीक्षाओं में उत्पादन के दौरान एवं उसके बाद उपयोगी पाए गए थे,
- (ii) प्रभावी लॉटों ने अत्यंत कठोर व्यवहार्यता को ओ. एफ. के. से सी.ए.डी. पुलगाँव तक पारगमन के दौरान लादे जाने के दौरान, बिना किसी दुर्घटना के सफलतापूर्वक सहन किया था। ओ.एफ.बी ने दृढतापूर्वक कहा कि सैन्य इकाई में हुई दुर्घटना शायद खराब निर्वहण के कारण हुई हो।
- (iii) गोला बारूद का अस्वीकरण एवं दुर्घटनाओं की उत्पत्ति के लिए अनुपयोगिता का कारक होना, ओ.एफ.बी द्वारा अस्वीकार्य था क्योंकि वही गोला बारूद सभी अनुबंधित विनिर्देशों एवं प्रमाण कसौटी पर खरा था। ओ.एफ.बी ने यह भी कहा कि विखंडन विधि के आधार पर गोला बारूद को अनुपयोगी घोषित करना ओ.इ.एम.के अनुसूच नहीं था; और
- (iv) गोला बारूद का उत्पादन स्थिर हो गया था एवं 1.42 लाख गोला बारूद का उत्पादन और उनकी आपूर्ति 2011-12 में सेना को की गई थी।

ओ.एफ.बी का उत्तर, ₹ 6.04 करोड़ मूल्य के गोला बारूद जो जनवरी 2011 से अप्रयोगी अवस्था में पड़े हुए हैं उस महत्वपूर्ण विषय को संबोधित नहीं करता हैं। सिर्फ डी.जी.क्यू.ए के साथ दोष बाट लेने से, अथवा अनुपयोगिता को अस्वीकार कर देने से, ओ.एफ.बी इस जिम्मेदारी से दोषमुक्त नहीं हो सकता कि उन्हें सैन्य टुकड़ी के लिए ऐसे गोला बारूद की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है जिसे वह आत्मविश्वास के साथ उपयोग में ला सकें। तात्कालिक मामले में, आपूर्ति किए हुए गोला बारूद दोष प्रवृत्त होने के कारण उपचार अपेक्षित थे, और ओ.एफ.बी द्वारा परिशोधित किए जाने चाहिए थे, अगर उन्हें यह आभास था कि ये गोला बारूद सुरक्षित रूप से उपयोग में लाए जा सकते हैं। मंत्रालय इस मामले की जाँच कराए तथा दोषों को हटाने के लिए अत्यावश्यक कार्रवाई करे, ताकि ओ.एफ.बी, डी.जी.क्यू.ए और सेना के बीच के आंतरिक मतभेद के कारण भंडार में पड़े मंहगे गोला बारूद बर्बाद न होने पाएं।

यह मामला रक्षा मंत्रालय को जनवरी 2012 में भेजा गया था तथा जुलाई 2012 तक जवाब प्रतिक्षित था।

8.6 पुराने संघटकों के साथ विस्फोटकों के निर्माण के कारण हानि

आयुध निर्माणी खामरिया ने गोलाबारूद फैक्ट्री किरकी द्वारा आपूर्तित पुराने घटकों एवं विपथगामी विनिर्देश के साथ व्यापार द्वारा प्राप्त बेरियम क्रोमेट का प्रयोग विस्फोटकों के उत्पादन के लिए किया। जिसके परिणाम स्वरूप जनवरी 2008-अक्टूबर 2009 के दौरान उत्पादित ₹ 4.64 करोड़ मूल्य के विस्फोटक अस्वीकार कर दिये गए।

आयुध निर्माणी खमरिया (ओ. एफ. के.) में अक्टूबर 2007 एवं नवम्बर 2007 में 500 विस्फोटकों के प्रत्येक दो पाईलट बैचों में उत्पादन के कारण विस्फोटकों के उत्पादन में 4 सेकेन्ड की देरी हुई। वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (आयुध) खामरिया (एस.क्यू.ए.ई./ए.)- एक संगठन जो नियंत्रक गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (गोला) किरकी (सी.क्यू.ए./ए.) के नियंत्रण के अधीन कार्यशील है - विभागीय विनिर्देश के पुष्टिकरण के लिए, उत्पादन के जांच की आवश्यकता हुई।

मार्च 2008 में, प्रथम 10 लॉट के संतोषजनक कार्य निष्पादन पर विचार करते हुए, सी.क्यू.ए./ए. ने एक लाख विस्फोटकों के थोक उत्पादन की स्वीकृति इस शर्त पर दी कि इसका एकीकृत अनुकरण एवं गतिवर्धक परीक्षा (आई.एस.ए.टी) परीक्षण किया जाये। आई.एस.ए.टी परीक्षण की आवश्यकता विभिन्न पर्यावरण स्थितियों में अपनी शेल्फ लाइफ के दौरान विस्फोटकों के अविस्फोट कार्य निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए पड़ी।

एक लाख के लक्ष्य के सामने, ओ.एफ.के. जनवरी/फरवरी 2008 में 30,390 विस्फोटकों एवं मार्च 2008 में 1,16,176 विस्फोटकों का उत्पादन किया। मई 2008 में गुणवत्ता जांच के दौरान, एस.क्यू.ए.ई./सी.क्यू. ए. (ए) ने जांच में असफलता के कारण जनवरी-फरवरी 2008 में उत्पादित सम्पूर्ण 30,390 विस्फोटकों एवं मार्च 2008 में उत्पादित 1,16,176 विस्फोटकों में से 10,960 विस्फोटकों को अस्वीकृत कर दिया। बाद में, जुलाई 2008 और अक्टूबर 2009 के बीच उत्पादित 2,31,321 विस्फोटकों में से एस.क्यू.ए.ई ने फिर से 28,496 विस्फोटकों को अस्वीकृत कर दिया। एस.क्यू.ए.ई. द्वारा गुणता निरीक्षण पास करने के बाद भी अगस्त 2010 में अन्तिम प्रयोक्ताओं अर्थात् सेना ने मार्च 2008/ जुलाई 2008 - अगस्त 2009 के दौरान जितने विस्फोटकों का उत्पादन एवं सुपुर्दगी हुई, उनमें से 63,597 विस्फोटकों को अस्वीकृत कर दिया। अतः 3,77,887 विस्फोटकों के कुल उत्पादन में से 1,33,443 विस्फोटकों को (35.31 प्रतिशत) गुणता मामले के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। इस गुणता हानि का आरोपण, बोर्ड ऑफ इनक्वायरी (मार्च 2010) द्वारा जिसका गठन ओ.एफ.के द्वारा हुआ, ने 1991-94 के एम्युनिशन फैक्ट्री किरकी (ए.एफ.के.) द्वारा आपूर्तित पुराने “हाउसिंग एण्ड डीले ट्यूब्स” के उपयोग तथा जल तन्मयता परीक्षण एवं विस्फोटकों के हानि के कारण वातावरण का प्रतिरोधन के कारण बताया। इस बोर्ड का मार्गदर्शन एस.क्यू.ए.ई.(ए) एवं सी.क्यू.ए.(एम.ई.टी.) के रिपोर्ट द्वारा हुआ। एस.क्यू.ए.ई (ए) में सयुक्त जांच का कार्य सम्पन्न करने के बाद (फरवरी 2010) विस्फोटकों के असफल होने का कारण बेरियम क्रोमेट को बताया जो निर्धारित विनिर्देश का पालन नहीं करते थे।

ओ.एफ.के. मध्यवर्ती स्तर/अंतर स्तर निरीक्षण के माध्यम से उत्पादन की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी था। अंतिम उत्पादों की स्वीकृती निरीक्षण के लिए गुणता आश्वासन प्राधिकारियों द्वारा जांच कर ली गयी थी। इसलिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकारियों और उपयोगिताओं द्वारा जांच के समय 35.31 प्रतिशत विस्फोटकों को प्रासंगिक अवधि अर्थात् जनवरी 2008 से अक्टूबर 2009 तक में अस्वीकार करके ओ.एफ.के में इसकी गुणता

नियंत्रण की असफलता के बारे में बताता है। गुणता नियंत्रण और भी ज्यादा जरूरी था क्योंकि ओ.एफ.के. ने विस्फोटकों के उत्पादन के लिए पुराने घटकों का प्रयोग किया एवं बेरियम क्रोमेट को अपनाया जो निर्धारित विनिर्देश का पालन नहीं करते थे। अतः ओ.एफ.के द्वारा खराब आंतरिक गुणता नियंत्रण का परिणाम यह हुआ कि जनवरी 2008 - अक्टूबर 2009 के दौरान ओ.एफ.के. द्वारा उत्पादित 35.31 प्रतिशत विस्फोटकों को अस्वीकार कर दिया गया जिससे ₹ 4.64 करोड़ की हानि हुई।

गुणता आश्वासन (आरमामेंट) महानिदेशालय ने कहा(जनवरी 2012) कि (i) सारे आई.एस.ए.टी परीक्षणों में विस्फोटकों के कार्य निष्पादन को संतोषजनक पाया गया, (ii) एस.क्यू.ए.ई.(ए) द्वारा मार्च 2008 में ओ.एफ.के. को पुराने घटकों के प्रयोग में विसंगति की ओर इंगित किया और (iii) ओ.एफ.के. बेरियम क्रोमेट को स्वीकृत करने के लिए जिम्मेदार था। आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ.एफ.बी) ने (जुलाई 2012) कहा कि ओ.एफ.के. द्वारा इस्तेमाल किए गए पुराने घटकों का ओ.एफ.के. के क्षेत्र इन्स्पेक्टर द्वारा विधिवत निरीक्षण किया गया था एवं उसकी मंजूरी दी थी। जबकि बेरियम क्रोमेट के स्पष्ट घनत्व एवं औसत कणों के व्यास में मामूली विचलन के साथ उत्पादन में उसका प्रयोग केवल सफलतापूर्वक प्रमाण के बाद ही किया गया था। यह परीक्षण गुणता आश्वासन स्थापना (मिलिटरी एक्सप्लोसिब्स) खामरिया एवं ओ.एफ.के. गुणता आश्वासन (मटेरियल अनुभाग)/ उत्पादन अनुभाग ने मिलकर किया था। अतः दोनों ही, उत्पादन एवं गुणता आश्वासन एजेन्सी ने उन उत्पादित विस्फोटकों की जिम्मेदारी नहीं ली जिन्हें शुरूआत में खराब पाया गया था। ओ.एफ.बी. का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि (1) एस.क्यू.ए.ई(ए) खामरिया द्वारा घटकों के मूल्यांकन के परिणाम का इंतजार किए बिना ही एवं सी.क्यू.ए. से थोक उत्पादन निकासी के सुझाव लिए बिना ही जिसने मामला (फरवरी 2008) में सी.क्यू.ए. (एम) ईशापुर को सलाह के लिए संदर्भित किया था, ओ.एफ.के. ने फरवरी 2008 में 30,390 विस्फोटको का उत्पादन किया; और (2) ओ.एफ.के. ही बेरियम क्रोमेट की विसामान्यता को स्वीकृति करने के लिए एकाकी रूप से जिम्मेदार था।

मंत्रालय ₹ 4.64 करोड़ के हानि की जिम्मेदारी तय करे एवं इसके परिणामस्वरूप दोनों निरीक्षण एजेन्सियों द्वारा एक-दूसरे पर दोषारोषण एवं उत्पादन को स्वीकृत करने के बजाय सुधारात्मक कार्यवाही करे और इस बारे में जांच पडताल का आदेश जारी करें।

इस मामले को जनवरी 2012 में रक्षा मंत्रालय को भेजा गया था, इसका उत्तर जुलाई 2012 तक प्रतीक्षित था।

विविध

8.7 आयुध फैक्ट्रियों द्वारा मांगकर्ताओं को अस्वीकृत मदों का निर्गम

पांच आयुध फैक्ट्रियों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए जारी की गईं स्थाई हिदायतों का उल्लंघन करके गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस बल, एवं केन्द्रीय पुलिस संगठनों को घटिया गोलाबारूद निर्गमित किया गया।

आयुध फैक्ट्रियों द्वारा हथियार/गोलाबारूद का निर्माण सैन्य बलों को आपूर्ति की जिम्मेदारी के अतिरिक्त गृह मामलों के मंत्रालय (एम.एच.ए) केन्द्रीय पुलिस संगठनों (सी.पी.ओं) एवं

राज्य/संघ प्रादेशिक पुलिस (एस.यू.पी.) की सदृश जरूरतों का भी प्रबन्ध करता है। अप्रैल 1998 में एम.एच.ए. ने आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी) को सूचित किया कि एम.एच.ए. ईकाईयों एवं एस.यू.पी.को हथियार/गोलाबारूद की जो आपूर्ति की जायेगी वह पहले सम्बन्धित मांगकर्ता की आपूर्ति के पहले निरीक्षण महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (डी.जी.क्यू.ए.) द्वारा निरीक्षित होना चाहिए।

हमने देखा कि अप्रैल 2004 में डी जी क्यू ए. ने एम.एच.ए.के अधिप्राप्ति स्कंध (विंग) को सूचित किया कि आयुध फैक्ट्रियों ने स्व - निरीक्षण का सहारा लेकर एम.एच.ए.को विभिन्न प्रकार के गोलाबारूद का निर्गम किया। इस प्रकार डी.जी.क्यू.ए संगठन के बिना परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किये एम.एच.ए.को विश्वसनीय/प्रामाणिक गोलाबारूद सामान का निर्गम में जो उद्देश्य था, विफल रहा। पुनः मई 2007 में डी.जी.क्यू.ए. ने एम.एच.ए. को सूचित किया कि डी.जी.क्यू.ए. द्वारा हथियार एवं गोलाबारूद के निरीक्षण हेतु प्राप्त हिदायतों के वाबजूद एम.एच.ए. इकाईयों ने सामान के जल्दी आपूर्ति हेतु सम्बन्धित आयुध फैक्ट्रियों द्वारा निरीक्षण दर्शाते हुए आयुध फैक्ट्रियों को खुले आपूर्ति आदेश जारी किये। डी.जी.क्यू.ए. ने बताया कि निरीक्षण की जिम्मेदारी पर ऐसी अस्पष्टता आयुध फैक्ट्रियों द्वारा भ्रान्त व्याख्यित करके एम.एच.ए. की ईकाईयों को गोलाबारूद एवं हथियारों का स्व- प्रमाणन के उपरान्त अवमिश्रित विनिर्देशन से निर्गम किया।

पांच आयुध फैक्ट्रियों (गोलाबारूद फैक्ट्री किरकी, आयुध फैक्ट्री देहू रोड़, आयुध फैक्ट्री वारागांव, आयुध फैक्ट्री खमरिया, आयुध फैक्ट्री चन्दा) की लेखापरीक्षा में हमने (फरवरी 2011) देखा कि इन फैक्ट्रियों ने ₹ 180.67 करोड़ मूल्य के हथियार,गोलाबारूद एवं शस्त्र निर्माण करके एम.एच.ए./एस.यू.पी/सी.पी.ओ.को वर्ष 2005-06 एवं 2010-11 के बीच निर्गमित किया, जबकि डी.जी.क्यू.ए. निरीक्षणालय ने सेना को निर्गमित विभिन्न कारणों से इन्हे अस्वीकृत किया था या फिर सेना द्वारा मूल्यांकन जांच में अभी तक पारित नहीं किया था। आयुध फैक्ट्रियों का यह कार्य भी कि निरीक्षण में अस्वीकृत खेप/सामान को पृथक करने उन्हें अन्य से मिश्रित होने से बचाने हेतु फैक्ट्री एवं गुणवत्ता आश्वासन स्थापनाओं द्वारा सयुक्त अभिरक्षा के लिए पूर्णतया: मुद्रांकित करना/निशान लगाकर बन्द क्षेत्र में रखने के लिए जारी हिदायतों का उल्लंघन था। आयुध फैक्ट्रियों को उन अस्वीकृत सामान के लिए पुनः कार्य करने/पुनः प्राप्ति आदि के मामलों में अथोरिटी होल्डिंग सील्ड पर्टीकुलर्स (ए.एच.एस.पी) को सूचित करने एवं गुणवत्ता आश्वासन स्थापनाओं से अनुमति प्राप्त करने की भी जरूरत है।

एम.एच.ए. के मांगकर्ताओं के उपर्युक्त अनुबन्ध के उल्लंघन द्वारा इन अस्वीकृत मदों के निर्गम से उन मदों की प्रभाविता के साथ-साथ प्रयोक्ता के जीवन के जोखिम से भी समझौता करना पड़ सकता है। वास्तव में एक गोलाबारूद का अस्वीकृत खेप जो आन्ध्रप्रदेश पुलिस को निर्गमित हो चुका था के संयोग से शस्त्र को नुकसान पहुँचाने का कारण बना तथा गोली चलने से खण्डित कारतूस के कारण चलाने वाले के चेहरे पर मामूली घाव हो गया था।

ओ.एफ.बी ने जुलाई 2012 में कहा कि एम.एच.ए. रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) के मार्फत ओ.एफ.बी को अनुदेश जारी कर सकता था, इस अर्थ के साथ कि अप्रैल 1998 के अनुदेश ओ एफ बी के लिए लागू नहीं थे, क्योंकि ये एम.ओ.डी. के माध्यम से प्राप्त नहीं हुए थे आगे ओ.एफ.बी. ने कहा कि एम.एच.ए फैक्ट्री द्वारा निरीक्षित सामान को स्वीकार करने के इच्छुक थे और न किसी राज्य पुलिस संगठन ने डी.जी.क्यू.ए. द्वारा निरीक्षित सामान प्राप्त करने के लिए फैक्ट्रियों के पास गये जिसके लिए उन्हें अप्रैल 2009 में एम.ओ.डी. द्वारा जारी नीति दिशानिर्देशानुसार गुणवत्ता आश्वासन प्रभार का भुगतान करने की जरूरत थी। ओ.एफ.बी ने

दृढता से कहा कि गोलाबारूद का कोई भी मामला जो गुणता के मापदण्ड के अनुरूप नहीं था को मांगकर्ताओं को निर्गमित किया गया एवं किसी भी प्रयोक्ता द्वारा उन्हें स्वयं प्रमाणित मदों की गुणता की आपूर्ति के बारे में कोई भी शिकायतें नहीं मिली थी।

एम.एच.ए. की अप्रैल 1998 की हिदायतों पर अप्रयोज्यता से सम्बन्धित ओ.एफ.बी का तर्क आयुध फैक्ट्रियों के लिए सही नहीं है क्योंकि अप्रैल 1998 की एम.एच.ए. की हिदायतों की एक प्रति जो न केवल ओ.एफ.बी को भेजी थी बल्कि उसकी एक प्रति एम.ओ डी के रक्षा उत्पादन विभाग को भी पृष्ठांकित थी। अप्रैल 1998 को एम.एच.ए के अनुरोध को स्वीकार करते हुए ओ.एफ.बी ने दिसम्बर 1998 में आयुध फैक्ट्रियों के महाप्रबन्धकों को एम.एच.ए. को सामान की आपूर्ति हेतु निरीक्षण के लिए डी.जी.क्यू. ए. को अनुमति के बारे में हिदायतें जारी की। ओ.एफ.बी यह भी स्पष्ट नहीं कर सका कि डी.जी.क्यू.ए. द्वारा सेना की आपूर्ति हेतु अस्वीकृति मदों को उनके स्वयं के प्रमाणिकता पर एम.एच.ए को निर्गमित कैसे हुई।

ओ.एफ.बी के जबाब में उपर्युक्त अभिकथन इस तथ्य को नहीं सम्बोधित करता है कि एम.एच.ए. एस यू पी और सी पी ओ को स्टोर डी जी क्यू ए के निरीक्षकों के क्लियरेंस के उपरान्त भेजा जाना चाहिए था, जैसा कि एम.एच.ए के अप्रैल 1998 के पत्र से अधिदेशाधीन था डी.जी.क्यू.ए. निदेशालय द्वारा इसकी अनुमति के पश्चात आपूर्ति करनी चाहिए और इसके बारे में डी.जी.क्यू.ए. बार-बार उजागर करता रहा। चूंकि यह मामला आयुध फैक्ट्रियों की ओर से एक भयानक चूक और निर्गम से पहले आपूर्ति का परीक्षण से सम्बन्धित स्थाई हिदायतों का उल्लंघन है इसे छानबीन करके जिम्मेदारी निर्धारित करने की जरूरत है।

इस मामले को फरवरी 2012 में रक्षा मंत्रालय/ गृह मंत्रालय को भेजा गया था उनका उत्तर जुलाई 2012 का प्रतीक्षित था।

8.8 लेखापरीक्षा की आपत्ति पर वसूलियाँ एवं बचतें

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन नई दिल्ली के निरीक्षक समूह एवं आयुध फैक्ट्रियों ने ₹ 44.48 लाख की वसूली की। आगे, आयुध फैक्ट्री कटनी ने लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर ऊर्जा की अधिकतम मांग कम करके प्रत्येक वर्ष ₹ 43.20 लाख की बचत करने में सफलता पायी।

लेखा परीक्षा के दौरान हमने अनियमित भुगतानों, प्रभारों की कम वसूलियों आदि पर लेखापरीक्षा टिप्पणी की। लेखापरीक्षा टिप्पणी पर कार्यवाही करते हुए लेखा परीक्षिती ने सुधारात्मक उपाय किये जिसका प्रभाव सार रूप में नीचे दर्शाया गया है:-

वसूलियाँ

लेखा परीक्षा टिप्पणियों के आधार पर सात आयुध फैक्ट्रियों एवं महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन के पांच निरीक्षण समूह ने संचयी रूप से विक्रीय कर पर अतिरिक्त भुगतान, किराया की वसूली/विद्युत प्रभार/सेवाकर/ लाईसेंस फीस/कल्याणकरी उपकर/अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता/ बाल शिक्षण भत्ता/अधिक ठहरने से नुकसान किराया एवं जोखिम एवं क्रय परिच्छेद की कार्य प्रणाली द्वारा अधिक दर पर भण्डार की खरीद के विरुद्ध धोखेबाज फर्म से अधिक लागत की वसूली के फलस्वरूप ₹ 44.48 लाख की वसूली की।

बचतें

आयुध निर्माणी कटनी ने मेसर्स मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के साथ समझौता किया जिसमें दिसम्बर 2010 से पहले की 6500 के.वी.ए. तथा 212 के.वी.ए. की अधिकतम मांग के दो कनेक्शन के संबंध के विरुद्ध 5500 के.वी.ए. तथा 150 के.वी.ए. के विद्युत के अधिकतम मांग में कमी करके प्रत्येक वर्ष ₹ 43.20 लाख की बचत की। यह कमी तब प्रभावित हुई जब हमने यह बताया की मई 2007 से अधिकतम ठेका से 90 प्रतिशत कम खपत के कारण विद्युत कम्पनी को जुर्माना चुकाना पड़ रहा है इसे विद्युत के अधिकतम ठेका मांग में कमी करके टाला जा सकता है।

इस मामले को जनवरी 2012 में रक्षा मंत्रालय को भेजा गया था जुलाई 2012 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

नई दिल्ली
दिनांक:

(वेंकटेश मोहन)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक